भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

श्रेय

वर्ष : 23

वार्षिक अंक : 2018-19

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्यप्रदेश, ग्वालियर

शासकीय कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले राजभाषा अधिनियम का

संक्षिप्त परिचय

- **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)**

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, अधिसूचनाएं, टैंडर, करार आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागज-पत्र, संसद के एक सदन में या दोनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट पूर्ण रूप से द्विभाषी रूप में प्रस्तुत की जाएंगी।

- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 5**

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाएगा।

- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4)**

राजभाषा नियम 8(4) के अनुसार हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले / प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अपना समस्त कार्यालयीन कार्य (टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ) केवल हिंदी में ही करना अपेक्षित है।

- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4)**

केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 11**

राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत संस्थान से संबधित सभी कोड, मैनुअल आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध होने चाहिए तथा संस्थान में सभी अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड, सील, पत्र शीर्ष, नाम-पट्ट, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध होने चाहिए।

- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 12**

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा के सभी नियमों एवं उपनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करे व इसकी अनुपालना की जांच करे एवं इन नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कार्मिकों और कार्यालय को समय-समय पर आवश्यक निर्देश / आदेश जारी करे।

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्रेय

वार्षिक अंक 2018-19

संरक्षक
राजीव कुमार पाण्डे
महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. ग्वालियर

•

प्रकाशक
जितेन्द्र तिवारी
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

•

संपादक मंडल

संपादक
श्रीमती स्वर्णलता गुप्ता
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी कक्ष)

विजय कुमार
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हिंदी कक्ष

हरिओम कुमार
कनिष्ठ अनुवादक
हिंदी कक्ष

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं, उनसे कार्यालय अथवा संपादक मंडल की सहमति आवश्यक नहीं है।

अपना लेख एवं सुझाव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कार्यान्वयन कक्ष, कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), म.प्र. ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002 को दो प्रतियों में भेजें।

अनुक्रम

क्र.	रचना / लेख / व्यंग्य	रचनाकार / लेखक	पृष्ठ संख्या
1.	लेखा परीक्षा आयोजना के लिए नया जोखिम विश्लेषण मॉडल : आवश्यकता, कार्य निष्पादन और परिणाम	प्रदीप कुमार दुबे	: 01 :
2.	अमरीन	उपेन्द्र सिंह यादव	: 06 :
3.	जब बाढ़ कभी आ जाती है मैं किसान का दर्द हूँ	अंकित कुमार	: 09 :
4.	दो रचनाएँ	दीपक देवलिया	: 10 :
5.	'शोर' सेहत को प्रभावित करता है	मदन गोपाल शर्मा	: 11 :
6.	सत्यनाश हुआ	शिवदयाल शर्मा (आजाद रामपुरी)	: 12 :
7.	दहेज मांग ले डूबी	डॉ. रामसहाय बरैया	: 13 :
8.	वक्त का चक्र	सृष्टि सिंह	: 14 :
9.	मेरे हम सफर	श्रीमती लालसा यादव	: 16 :
10.	दो रचनाएँ	यशवर्द्धन गुप्ता	: 17 :
11.	डोली में दुल्हिन / तीन मुक्तक - आराधना	जगत पाल सिंह 'जगत'	: 18 :
12.	अपने पराये	अनामिका त्रिपाठी	: 19 :
13.	लैपटॉप - एक व्यंग्य कथा	अभिषेक त्रिपाठी	: 21 :
14.	गीतिकाएँ	डॉ. शेषपाल सिंह 'शेष'	: 23 :
15.	लोक लेखा समिति में ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण	अमरेश कुमार	: 24 :
16.	गजल	हरिओम कुमार	: 28 :
17.	बड़ा बनते-बनते बहुत छोटा बन जाता है इन्सान	आकाश सिंह	: 29 :
18.	वैतरणी पार	दीक्षा चौहान	: 30 :
19.	मेरी जिंदगी से बरस कम हुआ	मोहन चंद गुप्ता	: 31 :
20.	आस्तिक - हम - नास्तिक और धर्म	आकाश सिंह	: 32 :
21.	क्रान्ति	लल्लू सिंह कुशवाह	: 35 :
22.	सम्राट चन्द्रगुप्त	सुदेश अरोरा	: 36 :
23.	त्याग ही शाश्वत जीवन है	श्रीकृष्ण बाथम	: 38 :
24.	मैं और तुम	मनीष कुमार	: 39 :
25.	वो पल	स्वर्णलता गुप्ता	: 40 :
26.	कार्यालयीन गतिविधियाँ		: 41 :
27.	नियुक्तियाँ / सेवानिवृत्तियाँ		: 44 :
28.	आपके अभिमत - आपके पत्र		: 45 :

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संदेश

भारत की राजभाषा हिंदी की प्रगति में निरंतर अपना सांस्कृतिक संवैधानिक व अनुकरणीय योगदान प्रदान करती हमारे कार्यालय की पत्रिका 'श्रेय' का नवीन अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। हिन्दी हम सबकी राजभाषा है। कोई भी देश स्वभाषा के बिना अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता। अतः हिंदी को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करना, इसके उत्थान में अपना योगदान देना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है और इस दायित्व निर्वहन में विभागीय पत्रिकाएं एक सराहनीय भूमिका निभाती हैं।

यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम सभी राजभाषा हिंदी का कार्यालयीन कार्यों एवं दैनिक क्रियाकलापों में अधिक से अधिक प्रयोग करें। हिंदी निरंतर प्रगति की दिशा में गतिशील है और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारा कार्यालय हिंदी की इस गतिशीलता को बरकरार रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है और हमारे कार्यालय में हिन्दी का स्थान सर्वोपरि है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी पत्रिका सदैव यूं ही राजभाषा के उन्नयन व उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान देती रहेगी और अपने पाठकों को राजभाषा से जोड़ते हुए सभी कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन पर संपादक मंडल एवं समस्त रचनाकारों को साधुवाद एवं शुभकामनाएं।

राजीव कुमार पाण्डे
महालेखाकार

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रकाशकीय

‘श्रेय’ का नवीन अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अतीव हर्ष का अनुभव हो रहा है। हमारी पत्रिका का प्रत्येक अंक हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं उत्थान की ओर हमारा एक सुदृढ़ कदम है। राजभाषा हिंदी के प्रति एक सकारात्मक माहौल तथा कार्यालय की रचनात्मक प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ‘श्रेय’ का प्रकाशन आरम्भ किया गया था और इस उद्देश्य की पूर्ति में हम निरंतर सफल हो रहे हैं।

राजभाषा हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता, संस्कृति एवं सभ्यता की पहचान है। यह सर्वविदित है कि हिंदी सरल, सुबोध एवं पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में समस्त राष्ट्र को एकसूत्र में बांधने की अतुलनीय क्षमता है। अतः हिंदी का उत्थान समस्त राष्ट्र का उत्थान है। हमारा कार्यालय राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए निरंतर कार्यशील है एवं पूर्णतः कटिबद्ध है और यह हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पत्रिका हमारे पाठकों के हृदय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में रचनात्मकता एवं जागरूकता के भाव पैदा करेगी एवं उन्हें राजभाषा के अधिक से अधिक प्रयोग हेतु प्रेरित करेगी।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

जितेन्द्र तिवारी
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सम्पादकीय

विविध रचनाओं की सुवासित पंखुड़ियों से सज्जित 'श्रेय' का नवीनतम अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष महसूस कर रही हूँ। 'श्रेय' का प्रकाशन पूर्ण रूप से राजभाषा के प्रचार-प्रसार व प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने को समर्पित है। सभी रचनाकारों ने अपनी-अपनी कलाओं को अपनी रचना में संजोने का अतुलनीय कार्य किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

हिन्दी हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक होने के साथ-साथ हमारी राजभाषा भी है। अतः हम दोनों भूमिकाओं के प्रति उत्तरदायी हैं और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि हम राजभाषा के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करें तथा कार्यालय के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी हिंदी का प्रयोग करने में गर्व महसूस करें।

'श्रेय' भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का उत्तम माध्यम है। मुझे विश्वास है कि पत्रिका में समाहित रचनाएं आपके ज्ञानकोष में वृद्धि करने के साथ ही आपके मन को साहित्य रस से आह्लादित भी करेंगी। हम यूं ही राजभाषा के उत्थान में अपना अथक योगदान देते रहें और 'श्रेय' का प्रकाशन निरंतर चलता रहे, इसके लिए हम अपने पाठकों के बहुमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन के आकांक्षी हैं।

जय हिंद, जय हिंदी।

स्वर्णलता

स्वर्णलता गुप्ता
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी कक्ष)

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ग्वालियर

* प्रशस्ति पत्र *

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ग्वालियर द्वारा नगर में स्थित समस्त केन्द्रीय कार्यालयों/ उपक्रमों/निगमों द्वारा वर्ष 2017-18 में विभागीय हिन्दी पत्रिका का वर्ष में एक अंक प्रकाशित करने वाले कार्यालयों में 'श्रेय' के श्रेष्ठ प्रकाशन हेतु कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जाता है।

ग्वालियर
दिनांक :- 18.12.2018

अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ग्वालियर
एवं महालेखाकार
कार्यालय महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

लेखा परीक्षा आयोजना के लिए नया जोखिम विश्लेषण मॉडल : आवश्यकता, कार्य निष्पादन और परिणाम

■

प्रदीप कुमार दुबे

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

परिचय

नियमों और विनियमों का अनुपालन, सार्वजनिक कार्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानक (ईसाई) 4000, अनुपालन लेखा परीक्षा के बारे में मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। यह कहता है कि 'एक लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षित संस्था की संरचना, संचालन और उसके द्वारा अनुपालन करने की प्रक्रिया से परिचित होना चाहिए। लेखापरीक्षक को इस ज्ञान का उपयोग लेखापरीक्षा सामग्री की भौतिकता का निर्धारण करने और इकाई द्वारा गैर अनुपालन के जोखिम का आंकलन करने के लिए करना चाहिए'।

योजना की आवश्यकता

एक लेखापरीक्षक को पेशेवर रूप से सही होना होता है। जैसा ईसाई 100 में परिकल्पित है कि लेखापरीक्षक को योजनाबद्ध रूप से लेखापरीक्षा योजना बनानी चाहिए। लेखापरीक्षकों को उनके काम को अपयश प्रदान करने वाले किसी भी आचरण से बचना चाहिए। इसलिए लेखापरीक्षा आयोजन हेतु आंकड़ा संग्रहण के लिए योजना बनाने में व्यावसायिकता की आवश्यकता होती है। अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई जानी चाहिए कि मितव्ययी, कुशल, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा की जा सके। योजना की पर्याप्तता यह सुनिश्चित करती है कि लेखा परीक्षा के मुख्य क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जाए और संभावित समस्याओं की समयबद्ध तरीके से पहचान की जाए। सरकारी निकायों, प्राधिकरणों और सरकार के अन्य कार्यान्वयन भुजाओं के आकार की तुलना में लेखापरीक्षा संसाधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा जगत में सभी लेखापरीक्षा इकाइयों के व्याप्ति (कवरेज) की योजना बनाना अव्यवहारिक है। उचित जोखिम मूल्यांकन के आधार पर अनुपालन लेखापरीक्षा की उचित योजना और प्राथमिकता निर्धारण महत्वपूर्ण है। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए आयोजना में लेखापरीक्षा रणनीति तैयार करना और लेखापरीक्षा जगत की पहचान करने के बाद एक लेखापरीक्षा योजना बनाना शामिल है।

जोखिम विश्लेषण

शासन द्वारा राजकाज के तरीके में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। हाल के वर्षों में शासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सीधा लाभ स्थानांतरण, हितग्राहियों का आधार लिंकिग, ई-टेंडरिंग का उपयोग, ऑनलाइन मॉनीटरिंग, आईएफएमएस का उपयोग प्रारंभ हुआ है। इसके अतिरिक्त लोक-निजी सहभागिता बढ़ी है, जिससे हितधारकों में वृद्धि हुई है तथा शासकीय लेखों में स्तर पर योजना / गैर योजना का वर्गीकरण बंद कर दिया गया है।

इनको ध्यान में रखकर मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षा योजना के लिए एक नया जोखिम आधारित लेखापरीक्षा पहुंच अपनाया गया। इसके लिए इकाई द्वारा किए गए व्यय के साथ इकाई के कार्यप्रणाली में अंतर्निहित जोखिम तथा नियंत्रण जोखिमों को गणना में लिया गया। प्रत्येक लेखापरीक्षा इकाई / एपेक्स इकाई द्वारा किए गए व्यय की प्रकृति के विश्लेषण के लिए व्हीएलसी आंकड़ों (उद्देश्य वर्ग और उद्देश्य शीर्ष स्तर) का उपयोग किया गया। उद्देश्य शीर्षों को छः उद्देश्य वर्गों, व्यक्तिगत सेवा और लाभ, प्रशासनिक

व्यय, संविदात्मक सेवाएं और आपूर्तियां, अनुदान, अन्य व्यय, पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण और लेखांकन समायोजन में वर्गीकृत किया गया।

विभाग / लेखापरीक्षित इकाई के जोखिम मूल्य का निर्धारण, संस्था की कार्यप्रणाली और क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में अंतर्निहित सात जोखिमों यथा, प्राक्कलन, जटिलता, प्राइवेट एजेंसियों की सहभागिता, भारग्रहण विरुद्ध निधियों का स्थानांतरण, मानवशक्ति में कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और सीधा लोक व्यवहार के साथ 19 नियंत्रण जोखिमों यथा, अधिक व्यय, व्यय में वृद्धि, धोखाधड़ी के प्रतिवेदित प्रकरण, निधियों की पार्किंग, सीधा लाभ स्थानांतरण, हितग्राहियों का आधार लिंकिंग, क्रय में ई-टेंडरिंग का उपयोग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, आईएफएमएस, जीआईएस / दूरसंवेदी का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण, अभिलेख संधारण की गुणवत्ता, प्रारूप कंडिका / भाग-दो (अ) कंडिकाओं के आधार पर आंकलन, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर आंकलन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, पर्यवेक्षण स्तर पर मानव शक्ति की कमी और मीडिया रिपोर्ट्स एवं शिकायत के आधार पर किया गया।

विभाग तथा लेखापरीक्षित इकाइयों के सकल जोखिम मूल्य के निर्धारण के लिए समस्त जोखिमों हेतु एक से पांच अंक देने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए। इकाई से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक जोखिम के लिए एक अंक निर्धारित हुआ। जोखिम मूल्य की गणना के लिए निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया गया :-

जोखिम मूल्य = व्यय (रु. करोड़ में) × अंतर्निहित जोखिम मूल्य (कुल अंक / 35) × नियंत्रण जोखिम मूल्य (कुल अंक /95)

एपेक्स और लेखापरीक्षा इकाइयों का उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम में वर्गीकरण के लिए मानदण्डों का निर्धारण शासन के बजट के आकार और कार्यालय में लेखापरीक्षा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया। प्रत्येक इकाई के लिए परिगणित जोखिम मूल्य के आधार पर इकाई का उच्च जोखिम / मध्यम जोखिम / कम जोखिम में वर्गीकरण किया गया।

आंकड़ा संग्रहण कार्य

आंकड़ा संग्रहण कार्य लेखापरीक्षा के लिए जाने से पूर्व एक विस्तृत डेस्क समीक्षा, लेखापरीक्षित इकाई के एक विस्तृत बाह्य रूपरेखा बनाने, अंतर्निहित जोखिम और नियंत्रण जोखिम के निर्धारण में वस्तुनिष्ठता लाने, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेखापरीक्षा दल को जवाबदेही के साथ कार्य पूरा करने हेतु मजबूती प्रदान करने, कार्यान्वयन इकाइयों और अन्य हितधारकों की पहचान करने और लेखापरीक्षा कार्य की समूह अधिकारियों / महालेखाकार द्वारा प्रभावकारी अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया।

आंकड़ा संग्रहण कार्य तीन चरणों (प्रारंभिक चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण) में किया गया, जो निम्नानुसार था -

1. प्रारंभिक चरण

आंकड़ा संग्रहण की आवश्यकताओं को समझने के लिए गृह विभाग का एक प्रायोगिक जोखिम विश्लेषण किया गया। मुख्यालय में एक टास्क फोर्स का गठन सामान्य क्षेत्र के समूह अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया गया। अंतर्निहित जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों को ध्यान में रखकर आंकड़ा संग्रहण हेतु एपेक्स इकाइयों के लिए 36 प्रारूप और 28 प्रारूप लेखापरीक्षित इकाइयों के लिए तैयार किए गए। इनमें से नौ प्रारूप व्हीएलसी, फास और रिपोर्ट अनुभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भरे गए। आंकड़ा संग्रहण के उद्देश्यों, क्षेत्र और कार्यविधि पर आंकड़ा संग्रहण दलों से चर्चा हेतु कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आंकड़ों की संपूर्णता और

प्रामाणिकता पर जोर दिया गया। विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर उनसे सहयोग देने और अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. प्रथम चरण (एपेक्स स्तर)

एपेक्स स्तर की इकाइयों और निदेशालयों से आंकड़ा संग्रहण के लिए 14 दलों का गठन किया गया। वांछित जानकारी प्रदान करने को सुविधाजनक बनाने हेतु विभागों द्वारा प्रत्येक निदेशालय में एक नोडल अधिकारी का नामांकन किया गया। इस कार्य की प्रगति की समूह अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह तथा महालेखाकार द्वारा पाक्षिक रूप से जानकारी ली गई। शीघ्र जानकारी प्राप्त करने के लिए महालेखाकार द्वारा छह अपर मुख्य सचिवों / प्रधान सचिवों विभागाध्यक्षों से बैठक की गई। प्रत्येक माह मुख्यालय कार्यालय को प्रगति प्रतिवेदन भेजे गए।

3. द्वितीय चरण (आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर)

निदेशालयों द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को, आंकड़ा संग्रहण दलों को सहयोग प्रदान करने के बारे में निर्देशित किया। जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया कि वह अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वांछित जानकारी समयबद्ध तरीके से प्रदान करने हेतु निर्देशित करें। प्रारूप आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजे जाने के लिए निदेशालयों को प्रेषित किए गए। आंकड़ा संग्रहण हेतु विभिन्न समूहों के अधिकारियों / कर्मचारियों को शामिल कर 53 आंकड़ा संग्रहण दलों का गठन किया गया। आंकड़ा संग्रहण दलों ने जिलाध्यक्षों द्वारा आयोजित समय-सीमा बैठक में भाग लिया , जिसमें समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने की प्रगति की समीक्षा की गई। समूह अधिकारियों द्वारा आंकड़ा संग्रहण दलों से निरंतर संपर्क रखा गया और वांछित मार्गदर्शन प्रदान किया गया, कार्य की प्रगति की मुख्यालय स्तर पर महालेखाकार और समूह अधिकारियों द्वारा आवधिक समीक्षा की गई।

प्रथम चरण में एपेक्स स्तर के आंकड़ा संग्रहण का कार्य माह अप्रैल 2018 और द्वितीय चरण में आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर के आंकड़ा संग्रहण का कार्य जून 2018 में पूर्ण किया गया। इस प्रक्रिया में दलों द्वारा कुल 4,123 इकाइयों में आंकड़ा संग्रहण का कार्य समय में पूरा किया गया। इसके बाद प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिमों का आंकलन एक्सेल / एक्सेस सॉफ्टवेयर की मदद से जुलाई 2018 में पूर्ण किया गया।

आंकड़ा संग्रहण और जोखिम आंकलन कार्य को नीचे एक प्रवाह रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है -

आंकड़ा संग्रहण और जोखिम आंकलन कार्य का प्रवाह रेखाचित्र

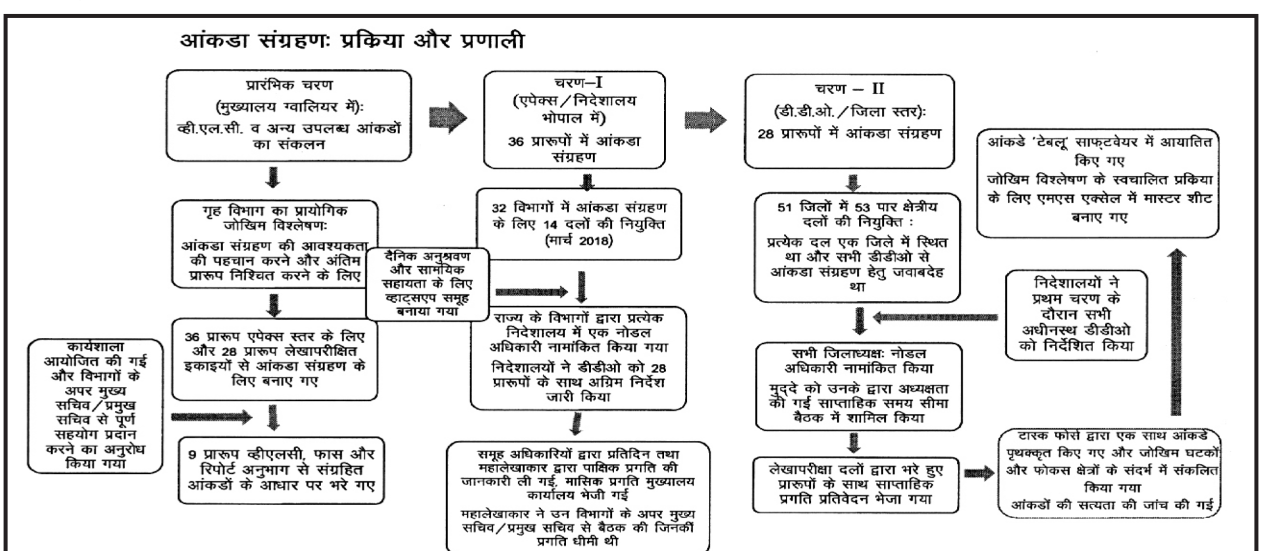

लेखापरीक्षा योजना

आंकड़ा संग्रहण के पश्चात विभाग और लेखापरीक्षित इकाइयों का नए जोखिम विश्लेषण मॉडल के अनुसार विश्लेषण करने के पश्चात् लेखापरीक्षा योजना 2018-19 तैयार कर मुख्यालय कार्यालय भेजा गया। माह जुलाई 2018 में ही एक पॉवर पॉइंट के माध्यम से अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (केन्द्रीय क्षेत्र) को लेखापरीक्षा योजना 2018-19 का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस प्रस्तुतीकरण के पश्चात् मुख्यालय कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा योजना 2018-19 को अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् वर्ष 2018-19 में लेखापरीक्षा कार्य माह जुलाई 2018 में ही प्रारंभ कर दिया गया।

जोखिम विश्लेषण से लेखापरीक्षा का सुदृढ़ीकरण

आंकड़ा संग्रहण और लेखापरीक्षा योजना बनाने हेतु नए जोखिम विश्लेषण मॉडल के प्रयोग से लेखापरीक्षा का सुदृढ़ीकरण भी हुआ जो निम्नानुसार है -

1. लेखापरीक्षा जगत की संपूर्ण पहचान की गई। लेखापरीक्षा स्तर से नीचे कार्यान्वन इकाई स्तर तक की पहचान कर प्रतिदर्श आधार पर लेखापरीक्षा इकाई के साथ लेखापरीक्षा के लिए आयोजना की गई।

2. लेखापरीक्षा हेतु रवाना होने से पहले एपेक्स स्तर से लेकर लेखापरीक्षित और कार्यान्वयन इकाई स्तर तक की सम्पूर्ण डेस्क समीक्षा।

3. विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु विभागवार फोकस एरिया का निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा दलों को चेक लिस्ट के साथ प्रदान किया गया, जिससे लेखापरीक्षा के बाद इन क्षेत्रों में दलों से आश्वासन लिया जा सके।

4. समूह अधिकारियों के पास इकाइयों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने से प्रभावकारी अनुश्रवण।

5. उद्देश्य शीर्ष में व्यय के आधार पर उच्चतम 10 विभाग की पहचान की गई।

6. विभागवार चेकलिस्ट तैयार कर लेखापरीक्षा दलों को प्रदान किया गया।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा सामग्री क्रय और सेवा उपार्जन, लोक निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया और कार्य निष्पादन के लेखापरीक्षा के लिए चेकलिस्ट तैयार कर लेखापरीक्षा दलों को उपलब्ध कराया गया जिससे सुसंगत मुद्दों की गहराई से समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा दलों को लेखापरीक्षित इकाइयों के संबंध में डेटा फोल्डर प्रदान किए गए जिसमें संबंधित इकाइयों के उद्देश्य शीर्षवार व्यय, निष्पादित परियोजनाओं, व्यक्तिगत जमा खातों और बैंक खातों, आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रदान किए गए अनुदानों, उपलब्ध मानव शक्ति और प्रशिक्षण आदि के ब्यौरे के साथ फोकस क्षेत्र से संबंधित प्रश्नावलियां लेखापरीक्षा विश्लेषण हेतु प्रदान किये गये।

नए जोखिम विश्लेषण मॉडल के परिणाम

विभिन्न मापदण्डों में पुराने जोखिम विश्लेषण मॉडल की तुलना में नए जोखिम मॉडल के परिणाम की तुलना निम्न तालिका में वर्णित है - **(तालिका अगले पृष्ठ पर देखें)**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नए जोखिम विश्लेषण मॉडल से लेखापरीक्षा योजना तैयार करने के इकाई स्तर पर जोखिम विश्लेषण, समय की बचत, उच्च अधिकारियों द्वारा बेहतर अनुश्रवण और निरीक्षण प्रतिवेदन की गुणवत्ता में सुधार जैसे अनेक लाभ हुए हैं। कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु भी लेखापरीक्षा योजना नए जोखिम विश्लेषण मॉडल के अनुसार ही तैयार किया गया है जिसे मुख्यालय कार्यालय, अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।

मुख्यालय कार्यालय द्वारा निर्देशित यह कार्य कार्यालय के सामान्य क्रियाकलापों से भिन्न प्रकृति का था। इस कार्य के दौरान विभिन्न

इकाइयों से कुल 1.15 लाख से भी अधिक प्रारूपों में आंकड़े संग्रहित किए गए, फिर भी आंकड़ा संग्रहण, जोखिम विश्लेषण और लेखापरीक्षा आयोजना का कार्य न्यूनतम समय में पूर्ण हुआ। यह कार्य महालेखाकार महोदय के सक्षम मार्गदर्शन और राज्य शासन के उच्चाधिकारियों से बनाए गए समन्वय, समूह अधिकारियों के दैनिक पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन, कार्यालय के क्षेत्रीय स्तर, टास्क फोर्स और नियंत्रण अनुभागों पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के अथक प्रयासों और राज्य शासन के अधिकारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने पर महालेखाकार महोदय ने संतोष व्यक्त किया तथा समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। महालेखाकार महोदय ने राज्य शासन के उच्च अधिकारियों को इस कार्य में सक्रिय सहयोग के लिए पत्र लिखकर धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

मापदण्ड	पुराने मॉडल में	नए मॉडल में
डेस्क समीक्षा	सम्पूर्ण डेस्क समीक्षा नहीं	सम्पूर्ण डेस्क समीक्षा योजना बनाने और इकाई में विश्लेषण में लगने वाले समय की बचत 360 डिग्री विश्लेषण के लिए अतिरिक्त समय
जोखिम विश्लेषण	मुख्यतः व्यय के आंकड़ों पर आधारित संख्या में सीमित (केवल सात), लेखापरीक्षित इकाई के कार्य परिवेश का समावेश नहीं, ध्यान केन्द्रित पहुंच नहीं, उप उद्देश्य शीर्ष स्तर का विस्तृत विश्लेषण नहीं, उच्च मूल्य के लेनदेनों की लेखापरीक्षा प्रारम्भ से पहले पहचान नहीं	व्यय प्रशासकीय और राजकाज के घटकों पर आधारित (सात अंतर्निहित और 19 नियंत्रण जोखिम), लेखापरीक्षित इकाई के कार्य परिवेश का समावेश, वर्ष और इकाई के लेखापरीक्षा के दौरान समीक्षा हेतु फोकस क्षेत्रों की पहचान (उद्देश्य / उप उद्देश्य शीर्ष स्तर का विवरण), डेटा एनालिटिक्स से ध्यान केन्द्रीय लेखापरीक्षा के लिए प्रमाणक क्रमांकों की पहचान भी संभव, उप उद्देश्य शीर्ष स्तर तक के व्यय का विस्तृत विश्लेषण, उच्च मूल्य वाले लेनदेनों की अनिवार्य लेखापरीक्षा जो दलों को लेखापरीक्षा प्रारंभ करने के पूर्व अवगत कराए गए।
प्रारंभिक लेखापरीक्षा ज्ञापन	लेखापरीक्षित इकाई में पहुंचकर और रोकड़ बही के विश्लेषण के बाद	उच्च मूल्य वाले लेनदेनों से संबंधित प्रमाणकों और फोकस क्षेत्र से संबंधित नत्थियाँ प्रारंभ में ही मांग लिए जाते हैं
निरीक्षण प्रतिवेदनों की गुणवत्ता	लेखापरीक्षा निष्कर्ष मुख्यतः चयनित महीने पर आधारित सामान्य चेक लिस्ट लेखापरीक्षा दलों को प्रदान किए गए, डेटा फोल्डर प्रदान करने की व्यवस्था नहीं।	लेखापरीक्षा निष्कर्ष चयनित माह के प्रमाणकों के साथ पहले से पहचान किए गए फोकस क्षेत्रों से संबंधित उच्च मूल्य लेनदेनों से संबंधित प्रमाणकों पर आधारित, पहचान किए फोकस क्षेत्रों के संदर्भ में तैयार किए चेकलिस्ट लेखापरीक्षा दलों को दिए गए, टेबलू साफ्टवेयर का उपयोग कर सुसंगत सूचनाओं को शामिल कर तैयार किए गए एक डेशबोर्ड पहले से लेखापरीक्षा दलों को प्रदान किए गए
दलों द्वारा आश्वासन	सीमित आश्वासन	लेखापरीक्षा दलों से पहचान किए गए फोकस क्षेत्रों के लेखापरीक्षा पर जारी किए गए ज्ञापनों को रेखांकित कराते हुए आश्वासन लिया गया
समूह अधिकारियों/ महालेखाकार द्वारा अनुश्रवण	पर्यवेक्षण के दौरान अनुश्रवण	क्षेत्रीय दलों के पर्यवेक्षक के अतिरिक्त लेखा परीक्षा दलों के कार्यों का अग्रिम में लेखापरीक्षित इकाई के आंकड़ों (डेशबोर्ड संग्रहित आंकड़े) की उपलब्धता होने से दैनिक आधार पर मुख्यालय से पर्यवेक्षण संभव

अमरीन

■

उपेन्द्र सिंह यादव
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

अर्जुन बचपन में जिन तनावों, परेशानियों और अभावों में पला, बढ़ा, उन सबकी कल्पना करना आसान नहीं था। अर्जुन के पिता कासगंज, उ.प्र. के जमींदार थे। अर्जुन बाल्यकाल से सशक्त व आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, निर्भीक और महत्वाकांक्षी रहा, उसमें तन-मन का जादुई आकर्षण, हिम्मत, हौसला और बुलन्दियों का विश्वास संवेदनशील भावनायें, हाजिर जवाब, तीक्ष्ण बुद्धि, मनमोहक मुस्कान सब कुछ था। अर्जुन ने इंटर कॉलेज गंजडुडवारा से इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात रामजस कॉलेज नई दिल्ली में बी.ए. ऑनर्स के लिए प्रवेश लिया।

रामजस कॉलेज में वह पूरे मनोयोग से पढ़ाई करने लगा। वहां उनकी मित्रता अमरीन से हुई। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। अमरीन हमेशा उसे प्रोत्साहित करती। अर्जुन को लगा, अमरीन को पाकर उसकी तलाश पूरी हुई। अमरीन ने अपनी छोटी बहन समरीन के साथ ये रहस्य साझा किया, उसने समरीन को बताया, 'फिल्मों में देखा था, कहानियों में सुना था लेकिन जब तक मैं अर्जुन से नहीं मिली, नहीं जानती थी कि प्यार क्या होता है।'

अर्जुन पोस्ट-ग्रेजुएशन करने के पश्चात् चाणक्य कोचिंग नई दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में सफल होने पर लेकिन साक्षात्कार में सफल चयन न होने पर निराश और उदास हो जाता। ऐसे कठिन व निर्णायक वक्त में अमरीन उसे समझाती कि वैकल्पिक और काल्पनिक स्थितियों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए जब आपका लक्ष्य निश्चित है तो केवल उसी के विषय में पूर्ण विश्वास के साथ चिन्तन करना चाहिए। अनागत स्थितियों के बारे में सोचने से केवल हानि ही हो सकती है। एक प्रतिस्पर्द्धा करने वाले व्यक्ति को व्यर्थ में वैकल्पिक सोच-विचार नहीं करना चाहिए, इससे लक्ष्य-प्राप्ति असंभव है। अर्जुन में अमरीन के उद्‌गारों से एक नया जोश आ जाता। अर्जुन ने अमरीन का हाथ पकड़कर आग्रह किया - 'दुनिया भर के अंधेरे से लड़ लूंगा अकेला बस तुम मेरे दीपक को अपने आँचल से ढके रहना, अमरीन प्लीज मुझे कभी छोड़ मत देना, नहीं तो अनर्थ हो जायेगा।' अमरीन ने भी मौन सहमति दी और वचन भी - 'मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूँगी।'

छूने वाले तो आसमान को भी छू लेते हैं आखिर उसका चयन म.प्र. पी.एस.सी. 1998 में नायब तहसीलदार के पद पर हो गया। पहली पोस्टिंग जिला - सीधी के अंतर्गत चुरहट तहसील में हुई। अर्जुन ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अमरीन को दिया और कहा - हे देवी, मैं अपनी पूरी जिन्दगी इस आशा के साथ तुम्हें समर्पित करता हूँ मुझे समाज-सेवा, देश-सेवा का अच्छे से अच्छा प्रतिमान देना ताकि धरती का कर्ज उतार सकूँ। मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को पूजा है, पवित्र नैतिकता को अंगीकार किया है, अमरीन ने कहा - 'दुनिया में चाहे आंधियाँ आयें या तूफान, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।' फिर दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े।

वहीं दूसरी ओर गांव में अर्जुन के पिताजी के पास अर्जुन के विवाह के लिए अच्छे से अच्छे प्रस्ताव आ रहे थे। विधायक, मंत्री, सांसद, उच्च और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हवेली के चक्कर लगा रहे थे। आज अर्जुन के पिताजी अपने बेटे की कीमत लगा रहे थे पर अर्जुन ने अपने पिताजी से साफ व स्पष्ट शब्दों में कह दिया 'मुझे कोई उर्वशी, अप्सरा या लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे वह सावित्री चाहिए जिसने सत्यवान की खुशी, जिंदगी के लिए यमराज तक का पीछा किया, अमरीन मुझे पूरी तरह समझती है, मैं आज जो कुछ हूं, उसकी वजह से ही हूँ।' जैसे ही उसके परिवार में सबको अमरीन के बारे में पता चला, मानो भूचाल आ गया। अर्जुन के पिताजी ने साफ-साफ

शब्दों में कह दिया अगर तूने निश्चय कर ही लिया है तो आज से हमसे, इस घर से, इस परिवार से कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं।

अमरीन ने जैसे ही अपने घर अर्जुन के बारे में बताया, उसके यहां भी तूफान, भूचाल आ गया। पहले तो अमरीन को पीटा गया, कमरे में बंद कर दिया गया। जैसे ही यह बात मौलवियों तक पहुंची, उसे कुरान का वास्ता दिया गया, फतवा जारी करने की धमकी दी गई, मगर अमरीन पर तो अर्जुन नाम की धुन सवार थी, वह तो पहले ही अर्जुन को कबूल कर चुकी थी, मात्र औपचारिकतायें शेष थीं।

अर्जुन का मित्र राहुल जो उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ग्वालियर में पदस्थ था, ने उसकी पूरी सहायता की। अमरीन किसी तरह घर से निकलकर ग्वालियर पहुंची, जहां सब तैयारी पहले से ही थी। आर्यसमाज मंदिर ग्वालियर में दोनों ने वैदिक रीति से विवाह किया। आखिर दोनों का मंगलमय मधुर मिलन हो ही गया। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था, दोनों ही खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनन्द ले रहे थे। एक दिन प्रातः जब दोनों भ्रमण कर रहे थे, अर्जुन पर जानलेवा हमला हुआ, अमरीन उसकी ढाल बनकर उसके आगे आ गयी, दोनों को काफी चोटें आयीं। रीवा में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किये गये। कुछ दिनों पश्चात दोनों स्वस्थ हो गये और हमलावर पकड़ लिये गये।

चुरहट तहसील में अर्जुन काफी राजनैतिक दबाव का सामना कर रहे थे, मगर अर्जुन ने अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। शासन द्वारा निलम्बन आदेश देते हुए, अर्जुन को निलंबित कर दिया गया। निलम्बन आदेश में उल्लिखित आरोपों का अमरीन ने गहन अध्ययन कर उत्तर तैयार किया। चूँकि निलम्बन आदेश में जिस तारीख का उल्लेख किया गया, उस दिन वह दोनों अस्पताल में भर्ती थे। फिर क्या? डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। यद्यपि निलम्बन आदेश में उल्लिखित तारीख लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत इंगित हो गयी थी। बस इसी को आधार बनाकर अमरीन ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्हें यकीन ही नहीं था कि इतनी जल्दी सब संभल जायेगा। सिर्फ तीन दिनों के अन्दर अर्जुन को बहाल कर दिया गया। अर्जुन ने रुआंसे स्वर में अमरीन से कहा कि जब-जब इस दुनियाँ में आऊँ, साथ तेरा ही पाऊँ।

परस्पर जबरदस्त आपसी अंडर स्टेंडिंग, विश्वास, समर्पण और प्यार उन दोनों के रिश्ते का आधार था। दाम्पत्य जीवन हंसी-खुशी के साथ चल रहा था। अमरीन बहुत खुश और मस्त थी और अपने आपको सबसे सौभाग्यशाली पत्नी समझ रही थी। घर में होली, दिवाली, ईद सभी त्यौहार मनाये जाते थे। अपने-अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, व्रत रखना, परवर दिगार से प्रार्थना करना दिनचर्या थी। समय आने पर पुत्र रत्न और कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। अमरीन ने पुत्र का नाम आर्यन और पुत्री का नाम फातिमा रखा।

दुनिया भर की सारी खुशियां थीं उस घर में। समय का चक्र चलता रहा। अमरीन की शिक्षा विभाग में अध्यापिका के पद पर नियुक्ति हो गयी। आर्यन का आई.आई.टी. मुम्बई में चयन होने पर पढ़ाई के लिए मुंबई भेजा गया। अर्जुन अस्वस्थ रहने लगे, यूं तो इन्हें बचपन से सिरदर्द की बीमारी थी, काफी इलाज कराया, कोई आराम नहीं मिला तो उन्होंने दर्द को ही दवा समझ लिया, सिरदर्द की वेदना को झेलते हुए कैरियर के इस मुकाम पर पहुंचे थे। आज भी अर्जुन अपनी बीमारी को सबसे छिपाना चाहते थे मगर अमरीन ने मुस्कराहट के पीछे छिपे दर्द को भांप लिया। वह परमेश्वर की तरह अर्जुन को पूजती थी। इस समय दोनों इन्दौर में पदस्थ थे। अमरीन किसी तरह अर्जुन की मेडिकल रिपोर्ट को हासिल कर गोकुलदास हॉस्पीटल के वरिष्ठतम डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने बताया इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, एम.आर.आई. और सी.टी. स्कैन से पता चला कि मस्तिष्क में कुछ ऐसी जटिलतायें हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीन ने साहसपूर्वक पूछा, जहां दोष हो सकते हैं, वहां उपाय भी। डॉक्टर बोले एक मात्र रास्ता है ऑपरेशन। बहुत ही रिस्क है, ऑपरेशन सफल होने के चांसेज सिर्फ 25 प्रतिशत हैं।

अमरीन चिन्तन में डूब गयी। उसके अंदर सतीत्व जाग उठा, इन्हें बचाना होगा चाहे मुझे सावित्री बनकर यमराज का पीछा क्यों न करना पड़े। मैं हार नहीं मानूंगी, यदि मैंने मन से, वचन से और कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन किया होगा तो खुदा को भी आना पड़ेगा मेरा

साथ देने के लिए। बड़े सूझ-बूझ से काम लेते हुए चेहरे पर कोई चिन्ता का भाव नहीं आने दिया।

अमरीन का परीक्षाओं के कारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया, फिर भी वह आवेदन देकर चली गई। उसने कहा कि इस वक्त मेरे पति से बढ़कर मेरे लिये और कुछ भी नहीं। अमरीन रिस्क नहीं लेना चाहती थी उसने अपने सारे जेवर लॉकर से निकालकर गिरवी रख दिये। अपने नाम से खरीदे हुये प्लॉट को कम रेट में बेचकर बड़ी मुश्किल से 25 लाख रुपये की व्यवस्था की और अर्जुन को मेदांता मेडीसिटी गुड़गांव में भर्ती किया गया। सिर का मेजर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन थियेटर के बाहर अमरीन, अर्जुन के माता-पिता, आर्यन, फातिमा खुदा से दुआ मांग रहे हैं। अंदर और बाहर सिर्फ खामोशी ही खामोशी। ग्यारह घंटों के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थियेटर से बाहर निकलकर आये और बोले मैडम, वाकई चमत्कार हो गया, मैंने पहली बार करिश्मा देखा। बधाई हो, आपके पति के सिर का ऑपरेशन सफल रहा।

''पूरी करता है सबकी खुदा,
जो भी निकलती है दिल से दुआ।''

दो दिन बाद अर्जुन के होश आने पर अमरीन का हाथ पकड़कर बोले - 'सचमुच तुमने मुझे बचा लिया। तुम सती-सावित्री से कम नहीं हो, ईश्वर ऐसी पत्नी हर किसो को दे, हर जन्म में'। तभी अमरीन ने अर्जुन के मुंह पर हाथ रखकर बोलने से मना किया। आज पहली बार अर्जुन के पिताजी को अपनी भूल का अहसास हुआ कि हमें अपने बच्चों के लिये अच्छे घर की योग्य संस्कारी लड़कियां ही चुननी चाहिए न कि दहेज की मोटी रकम के चक्कर में ऐसी लड़कियों को चुन लें, जो आते ही अपने पति और परिवार के प्रति समर्पित न रहते हुए अपने शौक में लगी रहें। आज उन्होंने अमरीन से क्षमा याचना की और कहा कि बेटी ! तुम जैसी बहू तो बड़े सौभाग्य से मिलती है, जिसकी वजह से मेरे परिवार का दीपक आज जीवित है। हो सके तो माफ कर देना। तुमने जो त्याग किये हैं, उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।

उस घर में सारी खुशियों ने फिर दस्तक दी। अमरीन के माता-पिता को भी अपनी भूलों का अहसास हुआ कि हमें अपने बच्चों की खुशी की खातिर जात-पात, धर्म जैसी सोच से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर मेरी बेटी खुश और मस्त है तो अन्य पहलुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। बच्चों के प्यार की कद्र करनी चाहिए न कि कुछ जबरदस्ती थोपा जाये। अमरीन गुनगुना रही है

''दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे,
मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे।''

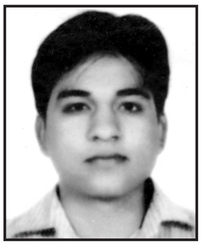

जब बाढ़ कभी आ जाती है

अंकित कुमार
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

जब बाढ़ कभी आ जाती है, जब बाढ़ कभी आ जाती है
कुदरत भी ना जाने अपने, कैसे-कैसे रंग दिखलाती है
जब बाढ़ कभी आ जाती है, जब बाढ़ कभी आ जाती है।

कितनों के घर टूट गये, कितनों के अपने छूट गये
प्रकृति के इस प्रकोप से, कितनों के सपने टूट गये,
न करो तुम प्रकृति से खिलवाड़, ये पाठ हमें सिखलाती है
जब बाढ़ कभी आ जाती है, जब बाढ़ कभी आ जाती है।

कितने बिन कहे चले गये, कितने अकेले ही रह गये
कितनों के घर इस बाढ़ में, तिनका-तिनका कर बह गये
अपने बच्चों को माँ तब बस, दिलासा देकर ही सुलाती है
जब बाढ़ कभी आ जाती है, जब बाढ़ कभी आ जाती है।

जो बूंदें बरसती थीं बादल से, वो आंखों से है बरस रही
सरकारी राहत की आस में, पीड़ितों की आंखें तरस रहीं
जो मिल जाये सही वक्त पर, वही मदद कहलाती है
जब बाढ़ कभी आ जाती है, जब बाढ़ कभी आ जाती है।

नेता जी हेलीकॉप्टर से शहर का, जायजा लेकर चले गये
मृतकों के परिजनों को मुआवजे का, वादा देकर चले गये
सूरज की एक किरण जैसी, तब थोड़ी राहत मिल जाती है
जब बाढ़ कभी आ जाती है, जब बाढ़ कभी आ जाती है।

जहाँ खड़ी थी ऊंची इमारत, आज वहां सब ढेर है
कुदरत ने बरसाये हम पर, जाने कैसा ये कहर है
सारे सपनों को तोड़कर, तब वो आंखों से बह जाती है
जब बाढ़ कभी आ जाती है, जब बाढ़ कभी आ जाती है।

मैं किसान का दर्द हूँ

मैं किसान का दर्द हूं, मैं किसान का दर्द हूँ,
जो जाड़े में लगती नहीं, मैं वो ठंडी की सर्द हूँ
मैं किसान का दर्द हूँ, मैं किसान का दर्द हूँ,

न जाना, न पहचाना, न मुझे कभी महसूस किया
झूठे वादे करके सबने, सदा मुझे मायूस किया
जो बढ़ता ही जाता है, मैं लिया हुआ वो कर्ज हूँ,
मैं किसान का दर्द हूँ, मैं किसान का दर्द हूँ,

न गर्मी से, न सर्दी से, न दिन से न रात से
मैं सहम जाता हूँ बस, बिन मौसम की बरसात से
अपने गम पर भी जो रोता नहीं, ऐसा मैं बेदर्द हूँ,
मैं किसान का दर्द हूँ, मैं किसान का दर्द हूँ,

मुख से नहीं बतलाता हूँ, पर आंखों में दिख जाता हूँ,
करता नहीं कुछ भी बयान, पसीना बनके गिर जाता हूँ
जो निभा रहा हूँ बिन बोले, मैं चुका रहा वो फर्ज हूँ

जो दिखकर भी दिखता नहीं, जो कहकर भी कहता नहीं
सब कुछ सह लेता है वो, बनकर अपना रहता नहीं
न गीता में मिलता हूँ, न किसी कुरान में दर्ज हूँ
मैं किसान का दर्द हूँ, मैं किसान का दर्द हूँ।

दो रचनाएँ

दीपक देवलिया

लेखापरीक्षक

प्रभु नाम से कल्याण

एक बार एक पुत्र अपने पिता से रूठकर घर छोड़कर दूर चला गया और फिर इधर-उधर यूँ ही भटकता रहा। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गये।

एक दिन वह बीमार पड़ गया। अपनी झोपड़ी में अकेले पड़े उसे अपने पिता के प्रेम की याद आई कि कैसे उसके पिता उसके बीमार होने पर उसकी सेवा किया करते थे। उसे बीमारी में इतना प्रेम मिलता था कि वो स्वयं ही शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाता था। उसे फिर एहसास हुआ कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, वो रात के अंधेरे में ही घर की ओर चल दिया।

जब घर के नजदीक गया तो उसने देखा कि आधी रात के बाद भी दरवाजा खुला हुआ है। अनहोनी के डर से वो तुरंत भागकर अंदर गया तो उसने पाया कि आंगन में उसके पिता लेटे हुए हैं। उसे देखते ही उन्होंने उसका बाहें फैलाकर स्वागत किया। पुत्र की आंखों में आंसू आ गये।

उसने पिता से पूछा 'ये घर का दरवाजा खुला है, क्या आपको आभास था कि मैं आऊँगा?' पिता ने उत्तर दिया 'अरे पगले ये दरवाजा उस दिन से बंद ही नहीं हुआ जिस दिन से तू गया है, मैं सोचता था कि पता नहीं तू कब आ जाये और कहीं ऐसा न हो कि दरवाजा बंद देखकर तू वापस लौट जाए।'

ठीक वही स्थिति उस परमपिता परमात्मा की है। उसने भी प्रेमवश अपने भक्तों के लिए द्वार खुले रख छोड़े हैं कि पता नहीं कब भटकी हुई कोई संतान उसकी ओर लौट आए।

हमें भी आवश्यकता है सिर्फ इतनी कि उसके प्रेम को समझें और उसकी ओर बढ़ चलें। !प्रभु शरणं !

नजरिया अपना-अपना

है सबने किस्से बनाये दूसरों के,
बात जिसकी हो कम से कम, 'मत' तो उसका जानिए।
सत्य और तथ्य में हो कदाचित भेद गर,
उस भेद को यूँ ही किस्से से मत पहचानिए।
जान लेना सच को ये काफी नहीं,
तथ्य कितना है उस सच में ये जानिए।
मानता हूँ हो स्वतंत्र आप,
दूसरे भी हैं स्वतंत्र ये जानिए।
दूसरों पर अपना नजरिया जो भी हो
पर नजरिये में वहम मत पालिये।
आरोप प्रत्यारोप ही हुए हैं वहम में,
बेहतर हैं इनसे खुद को ही बचाइये।
आभास और अहसास पर बोलना तो ठीक है,
पर बिन तथ्य के बोलने की रार तो मत ठानिए।
रार से तकरार तक बातों का जाना आम है,
रार की तकरार, बिन बात के मत ठानिए।
झूठी ठगी के दौर में मुमकिन नहीं हरिश्चन्द्र बनना,
पर करते रहें विश्वास सब झूठ उतना बोलिए।

'शोर' सेहत को प्रभावित करता है

■

मदन गोपाल शर्मा

आजकल शोर भी एक गम्भीर समस्या के रूप में हम सबके सामने है। आज चारों ओर व्याप्त शोर व ध्वनि प्रदूषण ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। आप जहां भी जाएं, वहाँ शोर सुनाई देता है। कल-कारखाने, वाहन, कानफोडू संगीत, लाउडस्पीकर की अमर्यादित आवाज, प्रदर्शन-बारात व जुलूसों की असुरक्षित ध्वनियाँ शोर फैलाती नजर आ जाएंगी। यद्यपि नियमों के अनुसार स्वीकार्य सीमा से अधिक शोर पर पाबंदी है पर इन नियमों का पालन नहीं होता। आपने देखा होगा कि न्यायालयों, स्कूलों, अस्पतालों आदि क्षेत्रों को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और इन क्षेत्रों में गाड़ियों के हॉर्न तक बजाना मना है पर इसका भी पालन नहीं होता। कई वाहन चालक अपनी मर्जी से कर्कश व तेज ध्वनि वाले हार्न लगाकर बजाते हैं और जानबूझकर शोर मचाते हैं। धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए लाउडस्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेने का प्रावधान है तथा देर रात तक और निश्चित सीमा से अधिक गति से चलाने पर पाबंदी है पर इसका भी पालन नहीं होता है।

आश्चर्य की बात यह है कि ध्वनि संबंधी हमारी आदतें दुनिया भर में चर्चित हैं। कुछ लोग तेज ध्वनि में डी.जे. व लाउडस्पीकर चलाना अपनी शान समझते हैं और किसी शर्त पर आवाज कम करने को तैयार नहीं होते। ध्वनि सुरक्षा के दिशा-निर्देशों को हम लोग बहुत हल्के से लेते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में लोगों को जागरुक किया जाए और ध्वनि प्रदूषण के कारण सेहत पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहिए साथ ही इस संबंध में जारी नियमों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

तेज शोर सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। इससे हमारी सुनने की क्षमता पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है साथ ही मन मस्तिष्क भी बुरी तरह प्रभावित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि दुनिया भर में अरबों लोग अपनी सुनने की क्षमता खो चुके हैं यानि कि पूरी तरह बहरे हो गए हैं। असल में निर्धारित मात्रा से अधिक शोर सुनने से कान की अन्दरूनी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और सावधानी न बरतने पर स्थायी रूप से बहरापन आ जाता है यह कान की संवेदना को प्रभावित करता है। इससे कानों में संक्रमण होता है तथा कान सुन्न भी पड़ जाते हैं। प्रारंभिक तौर पर कम सुनाई देता है तथा आवाज को पहचानने में परेशानी होती है, धीरे-धीरे आदमी पूरी तरह बहरेपन का शिकार हो जाता है।

शोर तनाव का भी एक बहुत बड़ा कारण है, इससे मनोवैज्ञानिक रूप से आदमी व्यर्थ में परेशान अनुभव करता है, छोटी-छोटी बातों पर खीजता है और चिन्तित रहने लगता है। ऊँची आवाज सुनते ही घबड़ाहट होने लगती है यहां तक कि कभी-कभी चक्कर भी आ जाता है। असल में हमारे कान एक निर्धारित सीमा तक ही तेज आवाज को सुन सकते हैं, इससे ज्यादा तेज आवाज नुकसानदेह होती है। हालांकि संगीत आदि की ध्वनियाँ उतनी नुकसानदेह नहीं हैं पर ये भी अधिक तेज ध्वनि वाली नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्यतः 85 डेसिबल तक की ध्वनियाँ सेहत के लिए हानिप्रद नहीं हैं पर 115 डेसिबल से अधिक की ध्वनियों से बचना चाहिए, इससे कानों को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार काफी समय तक शोर में रहना बेहद खतरनाक है, हमारे कान ज्यादा देर तक लगातार तेज शोर नहीं सुन सकते।

आजकल ईयर फोन लगाने का शौक बहुत बढ़ गया है ये हमारी सुनने की क्षमता पर बहुत तेजी से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज आपको सड़क पर, पार्क में, रेल में, बस में यहाँ तक कि दोपहिया वाहन चलाते समय भी लोग ईयरफोन लगाए गाने सुनते नजर आते हैं। इसके कारण अनेक दुर्घटनाएं भी आए दिन होती हैं पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। संगीत सुनने में बुराई नहीं है पर सड़क पर चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए ईयर फोन लगाना खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी आवाज कम होनी चाहिए और लगातार नहीं सुनना चाहिए। लम्बे समय तक लगातार ईयर फोन से संगीत सुनने की आदत सेहत के लिए हानिकारक है। इसी तरह ऑडियो-डिवाइस, रिकार्ड-प्लेयर व स्मार्ट फोन ऊर्जा से असुरक्षित स्तर तक संगीत सुनना निश्चिय रूप से हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। लगातार घंटों तक इन साधनों के नियमित प्रयोग से कानों को ही नहीं शरीर के अन्य अंगों को भी हानि पहुंचने की संभावना रहती है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि तेज शोर वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए,यदि जाना आवश्यक हो तो ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहिए।

सत्यनाश हुआ

शिवदयाल शर्मा (आजाद रामपुरी)
अतिथि रचनाकार

हार मान बैठा जो मन में, उसका जीवन-ह्रास हुआ।
बिना किए कुछ लोक हंसाई, जग में तो उपहास हुआ।
दिव्य स्वप्न तो खड़े कर दिये,
ऊँचे महल बताशों के।
बूँदों के गिरते बहते,
बनते पात्र तमाशों के।
कंचन काया मिला धूल दी, दिल में भी संत्रास हुआ॥
तन दुखिया मायूसी मुखड़ा
होती चुभन कभी
ज्येष्ठ तपन पीछे हरीतिमा,
यह भी सदा सही॥
करता चयन कुशलता से वह, जो न अधीर-हताश हुआ॥
जीवट तन के मन उमंग भर,
जीता कर्म-समर से।
ठान लिया जो किया उसी को
बलपूर्वक कसी कमर से
दुःख की पीठ लदा बैठा जो, प्रकट भी अभी उजास हुआ॥
चार दिना यदि रहे चांदनी,
रहे अंधेरा कब तक।
उसी समय तक कुटिया में तम है
आशा-दीप जला नहीं जब तक।
यदि पतझार आ गया, निश्चित आने को मधुमास हुआ॥

दहेज मांग ले डूबी

■

डॉ. रामसहाय बरैया
सेवानिवृत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

खलबल सिंह ने अपने मन में आगे-पीछे न सोचते हुए पत्नी कुसुमलता के मायके से आने के बाद तुरंत मोटरसाईकिल की मांग दोहराते हुए पिता से रुपये लाने हेतु झगड़ा करने लगा। मुंहवाद इतना अधिक बढ़ गया कि जानवर की तरह उसे धांय-धायं मारने-पीटने लगा जिससे वह बेहोश हो गई। फिर उसे घर के अन्य सदस्यों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर महिला डॉक्टर ने बताया कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु को गंभीर चोट पहुंची है इसलिए कुछ दिन इलाज चलेगा।

इस बीच किसी जागरुक भले आदमी ने कुसुमलता के माता-पिता को फोन पर घटना की सम्पूर्ण जानकारी दे दी तो वे आनन-फानन में दौड़ते हुए अस्पताल पहुँचे। उन्हें देखते ही बेटी की आंखों से आंसुओं की नदी बहने लगी। माता-पिता बहुत दुखी होकर बोले - 'बेटी मोटरसाईकिल देने के लिए खेत गिरवी रखकर हम रुपये लाये हैं। सो आप लेकर उन्हें दे दो और रोज-रोज के लड़ाई-झगड़े से पीछा छुड़ाओ।' फिर कुसुमलता धीरे-धीरे रोती हुई बोली कि - 'पिताजी अब रुपये अपने पास ही रखो और पुलिस में इनके विरुद्ध दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कराओ ताकि इनको कुछ सबक सीखने को मिले। क्योंकि निर्दयी दहेज लोभियों का कोई भरोसा नहीं कि वह फिर अत्याचार नहीं करेंगे। सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई है और शरीर में बेहद पीड़ा है। अब मैं ही सबका साथ छोड़कर जा रही हूँ। बस मैं तो आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।'

अस्पताल प्रबंधक ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस ने भी आकर पूछताछ के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया और रिपोर्ट के आधार पर हत्या, दहेज और महिला उत्पीड़न जुर्म का मामला दर्ज किया और न्यायालय में उस प्रकरण को प्रस्तुत किया। अल्प अवधि में ही न्यायालय ने गवाहों, सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और खलबल सिंह को पुलिस जेल ले गई। फिर सभी रिश्तेदार व परिवार के लोग गर्दन नीचे झुकाकर दुखी मन से यही बोले कि खलबल सिंह को दहेज की माँग ले डूबी।

वक्त का चक्र

■

सृष्टि सिंह
लेखापरीक्षक

समय, समय ना आज हमारे पास है ना आपके पास है। लोग अपने-अपने जीवन में इस कदर व्यस्त हो चुके हैं कि एक छत के नीचे रहते हुए भी आपस में कई दिनों तक अच्छे से बातें भी नहीं कर पाते। इस तेज तकनीकी भरी दुनिया में काम जितना तेज हो रहा है, उतनी ही तेज गति से रिश्ते भी पीछे छूटते जा रहे हैं। व्यस्तता ने बच्चों का बचपना, अपनों का प्यार, हँसी ठिठोलियाँ सब हमसे छीन लिया है। आज लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि परिवार के सदस्यों के बीच बैठकर उनके बारे में पूछ सकें। फिर इस दिखावे की दुनिया के लिए लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता से कुछ चीजें अपनानी शुरू कीं जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, आदि। लोगों ने अपने माता-पिता को समय देने के लिए 365 दिन में से कोई एक दिन चुन लिया जिसमें वो अपने माता-पिता के साथ वक्त बिताए। उस खास दिन लोग केक लाते हैं और ढेरों फोटो खींचकर सोशल मीडिया में ढेरों लाइक्स एवं कमेंट्स के लिए अपलोड कर देते हैं। इसके बाद न तो माँ की कोई खबर लेते और न ही पिता की। क्या सच में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनके लिए अपने ही जन्मदात्री-जन्मदाता के लिए समय नहीं बचा? मैं कहती हूं कि अगर लोग उस दिन के बजाए अपने हर एक दिन में से पाँच-पाँच मिनट अपने माता-पिता के लिए निकाल लें तो किसी को भी उस दिखावे के खास दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारी सभ्यता को धीरे-धीरे छोड़कर विदेशी सभ्यता अपनाते जा रहे हैं। जिस देश में माता-पिता को भगवान के तुल्य पूजा जाता था, निस्वार्थ मन से उनकी सेवा की जाती थी, आज उसी देश में बूढ़े माता-पिता को बोझ समझा जाने लगा है और समाज में दिखावा करने के लिए उस खास दिन को चुन लिया गया है। ये मत भूलो माँ एक ऐसी हस्ती है जो हमारे ह्रदय के सबसे करीब होती है, जब हमें चोट लगती है या हम दर्द में होते हैं तो हमारे मुँह से निकलने वाला सबसे पहला शब्द माँ होता है। माँ के स्पर्श मात्र से हम आज भी हमारे बचपने की ओर लौट आते हैं और माँ ही है जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी संतान के लिए दुआएं माँगती है, उसके लिए हमारा हर एक दिन खास होता है। चाहे वो हमारी पहली मुस्कान हो, चाहे पहला कदम, चाहे हमारे मुँह से निकला हुआ वो पहला शब्द हो, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो या कॉलेज का पहला दिन, चाहे हमारी पहली नौकरी हो। हमसे जुड़ी हुई हर चीज बहुत खास है उनके लिए। उस माँ के लिए हम साल में सिर्फ एक दिन खास बना पाते हैं? पिता, पिता हमें सबसे सुरक्षित रखने वाले हमारे सुपर मैन, हमारी शक्ति हमारा आत्मविश्वास है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान समझते हैं। बचपन में अगर उनके विपरीत कोई कुछ बोल देता था तो हम उनकी खातिर लड़ जाते थे। माता-पिता बचपन में हमारी दुनिया हुआ करते थे लेकिन, जैसे-जैसे समय रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसलता जाता है और हम जीवन के उस पड़ाव में कदम रखते हैं, जहां हम स्वयं को आत्मनिर्भर समझने लगते हैं, उस वक्त माता-पिता की कही हुई हर अच्छी बात भी हमें चुभने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो हमारे काम में रुकावट बन रहे हों। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो हमारा अच्छा-बुरा हमसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके होते हैं। वो उनका अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं तथा उसी आधार पर वो हमें नसीहत भी देते हैं, जिसे हम आज की पीढ़ी बिना मतलब की बात समझकर यह कह कर चुप करा देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। ये भी कितनी विचित्र बात है ना कि जिन माता-पिता ने हमें पाल-पोष कर इतना बड़ा किया, उन्हें ही आज कुछ नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है? जो माता-पिता बचपन में हमारी दुनिया हुआ करते थे, वो अचानक

कुछ समय बाद हमारे जीवन के एक बेकार हिस्से के समान हो जाते हैं, उनकी कही हुई सही बातें भी हमें बिना मतलब की लगने लगती हैं। वास्तव में समय बहुत तेजी के साथ परिवर्तित होता है लेकिन अपने माता-पिता के लिए हम तब भी (बचपन में) उनकी दुनिया थे और मरते दम तक हम में ही उनकी दुनिया बसती है। आज सुबह की ही बात ले लीजिए आज सुबह फोन पर मेरी मेरे पिताजी से बात हुई क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था तो मैंने उनके स्वास्थ्य पूछने की दृष्टि से बात की 'पापा आप कैसे हैं?' तो आप लोगों को पता है उनका उत्तर क्या था? बेटा तुम कैसी हो? तो मैंने कहा मैं तो बढ़िया हूँ.... तब उन्होंने बोला तो बस तुम लोग अच्छे हो तो हम लोग तो बढ़िया हैं ही, बस तुम लोगों को कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में वो शब्द मेरे हृदय को स्पर्श कर गए। आज भी उनके मन में अपने बच्चों के लिए उतना ही त्याग है, जितना कि बचपन में हमने देखा था। उनका समर्थन हमारे अन्दर कुछ भी कर दिखाने का जज्बा फूँक देता है। पिता हमारी सारी चिंताओं को यूं चुटकियों में किसी जादूगर की तरह दूर कर देते हैं। उस पिता के लिए आज वक्त नहीं है? क्या कभी इतना सोचा है उनके लिए कि वो हमारे शौक को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों के साथ समझौता कर लेते थे, निस्वार्थ मन से हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बिना अपने खातिर जिए वो हमारे लिए जीने लगे और आज देखो जिन्होंने हमें सक्षम बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। आज उन्हीं को देने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत ही प्राचीन परम्परा चली आ रही है, जिसे लोग आज भी निभाते आ रहे हैं। आप सब उस परम्परा से अवगत होंगे। मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की, जो कि 15 दिन के होते हैं, उसमें लोग अपने स्वर्गीय माता-पिता के लिए उनकी पसंद-नापसंद का पूरा ध्यान रखते हुए अच्छे से अच्छे पकवान बनवाते हैं, ब्राह्मणों को खूब दान-दक्षिणा भी देते हैं। मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को श्राद्ध करने की क्या जरूरत, जिन्होंने अपने माता-पिता का उनके जीवित रहने पर कोई मान नहीं किया, उनकी पसंद-नापसंद की कभी फिकर नहीं की, उनके बीमारी की स्थिति में उनसे ये भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि आपकी तबियत कैसी है अब? और तो और अपनी जिंदगी का सबसे बेकार हिस्सा समझकर उन्हें किसी वृद्धाश्रम की दहलीज पर छोड़ आए और सालों तक उनकी कोई खोज-खबर भी लेनी जरूरी नहीं समझी। ऐसे लोग उनके इस दुनिया से गुजर जाने के बाद क्यों ढोंग करते हैं? जिन्होंने अपने माता-पिता के जीवित रहते हुए कभी भी उनकी परवाह नहीं की तो ये दिखावा क्यों? ऐ मानव ! ये मत भूलो समय का चक्र घूमता है जैसे आज हम अपने माता-पिता के साथ व्यवहार करते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही आपके बच्चे भी उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार करेंगे। तब आपको उस दर्द का एहसास होगा तब आपको भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा, जैसा अभी आपके माँ-बाप को हो रहा है, क्योंकि माता-पिता हमारे जीवन के वे लेखक हैं, जिन्होंने प्यार की कलम तथा सच्चे और अच्छे संस्कारों के पेज में हमें उतारा है। आगे हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस किताब को हम कितना सम्भाल पाते हैं क्योंकि माता-पिता से ज्यादा हमें बिना किसी स्वार्थ के कोई भी प्यार नहीं दे सकता और न ही उनसे बेहतर हमें कोई समझ सकता है। अन्त में आज मैं आप सब से एक बात पूछना चाहूँगी कि हम सब ने मदर्स डे, फादर्स डे न केवल सुने हैं बल्कि उन दिनों को मनाते भी हैं लेकिन कभी किसी के माता-पिता को सन डे या डॉटर्स डे मनाते हुए देखा है? अगर नहीं तो क्यों? कभी विचार किया है? विचार जरूर कीजिएगा।

इस दुनिया में हमें लाने वाले माता-पिता भगवान हैं,
उनके एहसानों के हम कर्जदार हैं,
उनके कर्जों को हम चुका नहीं सकते
अपने फर्जों से हम मुँह छुपा नहीं सकते
मत भूल इंसान तेरा भी समय आएगा?
जो किया है तूने, तेरे साथ भी दोहराया जाएगा।

अभी भी वक्त है, करनी को तू सुधार ले
कर के माता-पिता की सेवा, अपना जीवन संवार ले
अगर अभी नहीं जागा तो बहुत पछतायेगा
सिवाए रोने के कुछ भी हाथ न आएगा
माता-पिता का कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता
सिवाए उनके दूजा कोई हमें समझ नहीं सकता
उनको हमारे अन्दर चल रहे तूफानों को भी भाँपना आता है
ढेरों कही गई बातों में से उन अनकही बातों को भी पढ़ना आता है
मानव जीवन बहुत अनमोल है ऐसे न इसे गंवाओ
ले के रज उनके पाँव की अपना जीवन सफल बनाओ।

मेरे हम सफर

■

श्रीमती लालसा यादव
पत्नी श्री उपेन्द्र सिंह यादव

जो सफर हमने शुरू किया, खोलेगा प्रतिपल नये द्वार,
अब पीछे मुड़कर देखना क्या, आगे खड़ा सुनहरा संसार।

पथ के कांटे फूल होंगे, प्यार होगा राह का आधार
कर्तव्य पथ पर मेरे साथ, मेरे हमदम मेरा प्यार।

साथ-साथ होंगी होली-दीवाली, साथ रूठन-मनुहार
साथ पीयेंगे अमृत और विष, साथ जीयेंगे जीत-हार।

प्यार से पहले कर्तव्य होगा, नियमों में बंधा संसार
कर्तव्य-पथ पर मेरे साथ, मेरे हमदम मेरा प्यार।

दो रचनाएँ

■

यशवर्द्धन गुप्ता
लेखापरीक्षक

गुफ्तगूँ के दो पल

छोटी-छोटी बातों पर,
अक्सर उलझ जाते हैं,
ना जाने एक-दूसरे को,
क्या दिखाना चाहते हैं।

श्रीमती में मति नहीं,
श्रीमान मान गंवाते हैं,
तू-तू कर एक दूजे को,
ये नीचा बतलाते हैं।

लड़ते हैं इस कदर,
बेगैरत हो जाते हैं,
हाथ उठाने की साजिश में,
श्रीमान आगे बढ़ जाते हैं।

श्रीमती भी कम नहीं,
बराबर की टक्कर देती हैं,
छोड़ जाने की धमकी से,
स्थिति पक्ष में ले लेती हैं।

ऐंठ भरी दोनों में,
मन ही मन बड़बड़ाते हैं
खाना न खाने की धमकी में
श्रीमान जी सो जाते हैं।

श्रीमती भी कम नहीं,
ले लेना कह कर चली जाती हैं,
मन ही मन सोच सोच,
लौट कर आ जाती हैं।

उठो अब खा लो,
ये अक्सर सुनने में मिल जाता है,
गुस्सा छोड़ श्रीमान जी का,
सिर अब हिल जाता है।

पेट पूजा करके अब,
कुछ सुकून आता है,
लगता है खाने से,
झगड़ा चला जाता है।

रिश्ते हैं अनोखे,
हर घर में मिल जाते हैं,
लड़-झगड़ लें कितना भी ,
फिर मिलकर एक हो जाते हैं।

एक मेहमान ऐसा भी

''पता नहीं कहाँ रह गई। इसका तो रोज का काम हो गया है। आज आने दो, बताती हूँ, सुबह के 8.30 बज गये, माँ आज मत रोकना तुम, बहुत सीधी समझती हो न उसे, आज बताती हूं'', गुस्से से लबालब भरी हुई मालनिक की शादीशुदा बेटी।

टिक टिक टिक टिक ... घड़ी चली जा रही थी, माँ, बेटी बस इंतज़ार में बैठी सुइयाँ गिन रही थीं अरे मैं लेट हो रहा हूँ उठ जाओ, धीरे से एक आवाज दबे हुए गले से निकलती हुई, टिफिन तो लगा दो... चेहरा ही उतर गया, पत्नी जी का, सोचने लगी बर्तन, न न न टालती रही, हाँ बनाती हूँ, बनाती हूँ। 9 बज गये थे, बजते ही, घड़ी भला किसके लिए रुकती है, इंतजार बाकी था, मानो कोई नई नवेली दुल्हन, अपने पति के ऑफिस से घर आने का इंतजार कर रही हो। 9.30 बज चुके थे, पति तैयार था, टिफिन नहीं, मैं जा रहा हूँ। उतरते हुए आवाज आयी, रोको रोको मैं बना रही हूँ, पति बोला सिर्फ उल्लू ...?

चले गये जनाब, करते भी क्या, अब ये मत कहना, खुद बना लेते (हां आप सोच सकती हैं .... अब तो वो जा चुके थे। दो चार-बर्तन जो गलती से मँजने वाले थे वो भी .... अब क्या था गुस्से से भरी मालकिन ढूंढ़ने निकली, वाह क्या बेचैनी और बेबसी, भाभी जी, कविता आ गयी क्या? पड़ोस में ही घर था तो आवाज आ रही थी, नहीं नहीं, अभी कहां, रोज के नाटक हैं इसके, भाभीजी भी उसी लाचारी भरी आवाज में ....

आज कविता नहीं आई, इंतजार करते करते 12 बजे झाड़ू बर्तन मँजे, मालकिन नहायी और साहब 2 बजे बना नाश्ता। अरे नाश्ता क्या खाना कहो। पूरे दिन काम वाली पर चर्चा और दिन भर दिमाग खर्चा।

रात फिर इस डर से निकाल दी कि कल भी नहीं आई तो, अगली सुबह, कविता जी आई, इज्जत से नाम लीजियेगा आप... गुस्से में भरी हुई मालकिन लगा कि बम फटेगा, अरे ये क्या फुस निकल गया ये तो, क्यों भाई क्यों... हाँ अब समझ आया। एक डर कहीं छोड़ गई तो ....

वाह कविता जी वीआईपी तो आप हैं बेचारे पति देव तो ... दरअसल
बात अनोखी नहीं, घर घर की आशा है,
जिस दिन न आये वो, उस दिन निराशा है।
इंतजार ने उसके ऐसे गजब ढाई है,
जब-जब न आई वो, आफत बरस आई है।

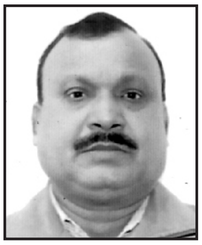

डोली में दुल्हिन

■

जगत पाल सिंह 'जगत'
अतिथि रचनाकार

टेक

प्रीत करके न जाओ ऐ मेरे सनम,
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाउँगी।
प्यार मुझसे करो माँग मेरी भरो,
मैं कभी भी तुम्हें न भुला पाऊँगी।

1. जबसे देखा तुझे हो गया क्या मुझे,
ये बताने की तुझको जरूरत नहीं।
बिन दरश के तुम्हारे ये मानो सही,
इस धरा में कहीं भी न रह पाऊँगी॥ प्रीत करके .....

2. दिल की धड़कन से निकले तेरा नाम है,
मीत रूठो नहीं हो रही शाम है।
हर घड़ी हर पहर भँवरा बनके राहों,
मैं कली बनके तुझको छुपा जाऊँगी॥ प्रीत करके ....

3. ये पपीहा सा मन है निछावर तुझे,
स्वाति बूंदों की चाहत है तुझसे मुझे।
चाहे दे दे ज़हर समझूँ अमृत उसे,
बनके मीरा की भगिनी मैं पी जाऊंगी॥ प्रीत करके ....

4. गर जो ठहरे नहीं तो सुनो फैसला,
ये जगत तुझसे फिर न कहेगा भला।
होगा फंदा तेरा और जनाजा मेरा,
बैठ डोली में दुल्हिन बन जाऊंगी॥ प्रीत करके ....

तीन मुक्तक - आराधना

आराधना अंतःकरण की साधना का रूप है!
ज्यों दिवाकर के बिना पाता न कोई धूप है !!
आराधना से व्याधि ना आती यहाँ देखी कभी!
आराधना से ही 'जगत' में साधना देखी सभी!!

आराधना जो आज से ही कर सकेगा अंत तक!
वह मनुज निज कर्म के बल जा सकेगा संत तक!!
ध्यान में आराधना हो ज्ञान में आराधना हो!
वह नहीं चाहे 'जगत' जिसमें तेरा आराध्य न हो!!

अर्ज मेरी गर्ज तेरी हो तो ये स्वीकार कर ले!
अन्यथा पछतायेगा यह तथ्य अंगीकार कर ले !!
वेद उपनिषदों की मानी हर संत वाणी कह रही!
चल 'जगत' आराधना कर यह अंत वाणी कह रही!!

अपने पराये

■

अनामिका त्रिपाठी

पत्नी श्री नवल किशोर त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सुन्दर नगर में एक परिवार रहता था, उनके दो भाई चार बहनों में प्रीति सबसे छोटी थी। पढ़ाई में जितनी चतुर, गृहकार्य में उतनी ही दक्ष थी। प्रकृति ने उसके साथ क्रूर मजाक किया था। सात वर्ष की अल्पायु में ही 'पोलियो' ने उसे शारीरिक रूप में असमर्थ बना दिया था। माँ के अथक प्रयासों से थोड़ा बहुत चल फिर लेती थी प्रीति। बड़े भैया की शादी के समय वह सिर्फ 9 साल की थी, उसकी भाभी उच्च वर्ग परिवार से आई, अति महत्वाकांक्षी, कान्वेंट शिक्षित थीं। आर्थिक समस्याओं से जूझते उस परिवार में कभी मिलजुलकर नहीं रहती थी। पिता की असमय मृत्यु से परिवार की स्थिति और लड़खड़ा गयी। पुश्तैनी मकान व थोड़ी बहुत जमीन थी, जिससे घर का खर्च चलना मुश्किल हो रहा था। अतः भाभी को भी नौकरी करनी पड़ी। गृहस्थी के चक्रव्यूह में फँसी प्रीति की माँ।

भैया के बच्चों और घर के सारे कार्यों में प्रीति माँ की मदद करती रहती। सभी भाई बहनों की शादी तक प्रीति ने बी.ए. पास कर लिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब कभी भी उसने आर्थिक रूप से सक्षम होने की बात उठाई, परिवार जनों के सहयोग के बिना वह अधूरी ही रह गई। भाग्य के आगे घुटने टेक घर के कार्यों में ही वह खुशियाँ ढूंढ़ने लगी थी।

कितनी चंचल और हँसमुख थी। दरवाजे के पीछे खड़ी होकर मुझे चौंका देती और खिलखिला पड़ती। उसका घर मेरे घर के सामने था। मैं अक्सर उसके घर जाया करती। प्रीति हर गलत बात का विरोध करती थी। इसी कारण अक्सर भाभी और उसकी ठन जाती। फिर भी भाभी से उसे विशेष लगाव व विश्वास था। यही विश्वास उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वासघात सिद्ध हुआ।

छोटे भैया की सर्विस शहर में थी। वह अपनी पत्नी व बच्चे के साथ एक कमरे में गुजर बसर करता था। अतः प्रीति बड़ी भाभी के पास रहती थी। माँ के देहान्त के बाद अकेलापन उसे कुछ ज्यादा ही लगने लगा। स्वयं को कार्यों में व्यस्त रखकर वह भाभी से आशान्वित रहती थी कि कोई कार्य उसे सिखायें या करने को दें ताकि वह स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। भाभी एक दिन चादर छपवाकर बाजार से लाई थी कि उत्साही प्रीति बार-बार भाभी से उस पर कढ़ाई करने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर तक तो भाभी ने उसकी बात पर ध्यान दिया पर बार-बार पूछने पर इसे तो मैं और नीलू कर लेंगे उपेक्षा से बोली उसकी भाभी। आहत हो उठी प्रीति, मैं बेबस सी उसे देखती रही।

पास-पड़ोस के सभी लोगों के छोटे बड़े कार्य वह बड़ी खुशी से कर देती थी, फिर भी समय काटने की समस्या बनी रहती। अतः मन बहलाने के लिए पड़ोस के बच्चों को बुला लेती थी, ये बच्चे ही थे जिसके साथ हँस-बोल कर प्रीति समय बिता लिया करती।

उस दिन रविवार था। मैं भाभी के पास बैठी स्वेटर की डिजाइन सीख रही थी। प्रीति ऊपर कमरे में बच्चों के साथ ताश खेल रही थी। मस्ती के मूड में बच्चों की आवाजें थोड़ी तेज हो गईं। प्रीति ने तो इस घर को धर्मशाला बना रखा है यहाँ तो कोई चैन से बैठ भी नहीं सकता, चिल्ला उठी थी भाभी।

भाभी का उपेक्षित व्यवहार देखकर बच्चे भी माँ का अनुसरण करने लगे थे। नीलू तो उसे हर समय प्रताड़ित करती रहती, भाभी भी उसे मौन समर्थन देती। भैया तो बाहर के कार्यों में व्यस्त रहते थे। सबके स्नेहमय बर्ताव के अभाव में अपने सारे साहस और उत्साह के बावजूद जिंदगी बिताना उसके लिए कठिन हो गया था और संसार के अंधेरे में केवल ईश्वर का ही एकमात्र सहारा बचा था। अब प्रीति का अधिकतर समय माँ से विरासत में मिले पूजा के कार्यों में बीतने लगा। शादी के बाद वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। एक ही शहर में ससुराल होते हुए भी वह अपने पीहर कम ही आ पाती। प्रीति से अब कम मुलाकात होती।

वह दिन आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। पापा के आग्रह पर मैं आठ दिन के लिए पीहर आई थी। सोफे पर लेटी मैं पत्रिका पलट रही थी, तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वाली प्रीति थी। घर के बाहर कदम न रखने वाली प्रीति आज एक पड़ोस की लड़की का सहारा लेकर आई थी। उसे अंदर बैठाते ही मैंने देखा उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया था। होंठों पर पपड़ी जमी हुई थी। शायद कई महीनों से वह हँसी नहीं थी। उसकी आंखों के चारों ओर काले गड्ढे उभर आये थे। कुछ देर चुप रहकर वह बोली - विकलांग सहायता के अंतर्गत सभी विभागों में नियुक्तियाँ हो रही हैं। जीजाजी के ऑफिस में भी विकलांग पद खाली हैं। प्लीज दीदी मेरे लिए कोशिश कर लीजिए। मुझे चुप देखकर वह आगे बोली मैंने तो हालात से समझौत कर लिया था दीदी, लेकिन दिन भर घर में मेरी उपस्थिति सभी को दखलंदाजी जैसी लगती है। किसी भी कार्य को करते हुए मुझे संकोच सा होने लगा है। 'यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी' आगे नहीं बोल पाई। वर्षों के बादल आज बरस पड़े थे। उत्साही व प्रेरणादायी प्रीति को मैंने आज पहली बार टूटकर बिखरते देखा था। तथाकथित 'स्वजन' जब औपचारिकताएं निभाने लगते हैं तब आदमी अपने आपको बोझ समझने लगता है और फिर वह उनसे दूर होने के उपाय सोचने लगता है।

विरले ही होते हैं जो किसी की पीड़ा को समझकर उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं। वरना अन्य तो अपने स्वार्थों के सीमित दायरों से बाहर ही नहीं आ पाते। मैं भी तो अन्य सब में से थी। क्यों झंझट में पड़ूं? यही सोचकर मैंने अपने पति से इस बारे में बात तक नहीं की, जबकि मेरे थोड़े से प्रयास से उसे यह सर्विस जरूर मिल जाती।

इस घटना के बाद मैं भी छह माह के लिए पति के साथ विदेश चली गई। लौटी तो एयरपोर्ट से ही मम्मी के साथ रहकर थोड़ा आराम कर लूँगी, यह सोचकर पीहर आ गई। सामान उतारते हुए प्रीति के घर पर नजर पड़ी, तो मैं चौंक गई भैया-भाभी नौकरी पर गए और बच्चे स्कूल लेकिन प्रीति ! घर पर ताला कैसे लगा? प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही, मम्मी से यह सुनकर सन्न रह गई। भारी कदमों से अन्दर गई। मम्मी-पापा प्रीति की तारीफों के पुल बाँध रहे थे। कितनी अच्छी थी प्रीति, वह अक्सर कहती थी 'दीदी प्रशंसा से झूठे शब्द मेरे कानों में सीसा उड़ेलते हैं। ऐसा लगता है कि ये मेरी विकलांगता की ओर संकेत है।'

मेरा मन भाभी के प्रति कड़वाहट से भर गया, संवेदना प्रगट करने भी नहीं गई मैं। मैं खुद को भी आज तक माफ नहीं कर पाई हूँ। आज भी शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को देखती हूँ तो प्रीति की याद आ जाती है और दिल में एक टीस सी उठती है कि सही अर्थों में विकलांग मैं हूँ।

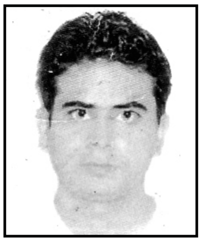

लैपटॉप - एक व्यंग्य कथा

■

अभिषेक त्रिपाठी

डी.ई.ओ.

बात बीते समय की है। उस समय उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने 12 वीं पास बच्चों को लैपटॉप वितरण की योजना बनाई थी। उसी समय उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप मिश्रीपुर नामक गांव में एक बालिका का इसी क्रम में चयन हुआ। बस फिर क्या था, उस बालिका के परिवार और साथ ही साथ गांव वालों में भी हर्ष और उल्लास का माहौल था, क्यूंकि एक तो पहली बार कोई बारहवीं की परीक्षा पास किया था, दूसरा पुरस्कार भी पा रहा था। परन्तु स्वयं वह बालिका व पूरे गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि यह लैपटॉप क्या चीज होती है।

इसी उधेड़बुन में पूरा गांव इस बात की चर्चा कर रहा था कि आखिरकार यह क्या मिलने वाला है। बहुत से लोग तो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यह चीज क्या है और कितनी बड़ी है । पुरस्कार मिलने से एक हफ्ता पूर्व दुर्गेश, जिसे यह पुरस्कार मिलने वाला था, गांव के सरपंच के घर गई, अब क्योंकि उसके माँ-बाप अनपढ़ थे और काफी उम्रदराज थे इसलिए वह अपने चाचा को लेकर गई। दुर्गेश सरपंच से बोली कि यह पुरस्कार उसे आगामी 17 तारीख को दिया जाना है, लेकिन अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि आखिरकार यह लैपटॉप होता क्या है? सरपंच जी की पत्नी बोली 'अरे इ लैपटॉप लाली - लिपिस्टिक को ही अंग्रेजी में कहत हैं, हमारे भैया हमारी भौजी के लिए बम्बई से लाए थे'। इस पर सरपंच जी नाराज हो गए और बोले, 'अरे तुमको कैसे पता, तुमको कुछ नहीं मालूम हमेशा अपनी मायके की बात किया करती हो तुमको तो कुछ नहीं पता, अरे यह लैपटॉप अंग्रेजों का लट्टू होता है। अरे अंग्रेज चले गए और लैपटॉप यहीं छोड़ गए।' 'ई सब छात्र को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जा रहा है। ताकि छात्र लोग लैपटॉप से खेलें और उनका मन भी बहलता रहे'। परंतु सरपंच साहब को अपनी बातों पर संदेह था क्योंकि वास्तव में उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर लैपटॉप होता क्या है?

सरपंच साहब ने कहा चलो गांव के डाकिया से इस संबंध में पूछा जाए, उसे जरूर मालूम होगा क्योंकि वह शहर भी जाता रहता है। सभी लोग डाकिया से मिलने गांव की पोस्ट ऑफिस में चले गये। डाकिया साहब बीड़ी और चाय का आनंद ले रहे थे। दूर से आती भीड़ को देखकर वह चिल्ला उठे, 'अरे अभी लंच चल रहा है, लंच के बाद आना, अभी हम भोजन कर रहे हैं'। उन्होंने सोचा गांव वाले यूं ही उन्हें परेशान करने चले आए हैं। इस पर गांव के सरपंच जी बोले, 'अरे डाकिया जी, हम कोई सरकारी काम से नहीं आये हैं हम कुछ आपसे जानने के लिए आए हैं, आपने सुना होगा, हमारी बिटिया दुर्गेश को सरकार ने 12 वीं पास करने पर वजीफा दिया है और कुछ लैपटॉप जैसी चीज मुख्यमंत्री साहब हमारी बिटिया को पुरस्कार स्वरूप देना चाहते हैं, अब समस्या यही है कि आखिरकार लैपटॉप होता क्या है। हम लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं। अब आप ही इस समस्या का निवारण करें। डाकिया साहब अपनी बीड़ी और चाय समाप्त करते हैं और खैनी रगड़ते हुए सरपंच से बोलते हैं 'अरे लैपटॉप बड़े आदमी लोगों की मशीन है, जो गर्मी में पानी ठंडा करने के काम आवत है। हम भी बहुत लैपटॉप देखे हैं शहर में। हर पोस्ट ऑफिस में लैपटॉप वाले पानी पीने की व्यवस्था करते हैं। बहुत ठंडा पानी देता है। इतना ठंडा मानो इंद्र के दरबार में कोई अप्सरा शीतल पेय दे रही हो। डाकिया साहब अपनी मूछों को ताव देते हुए शेखी बघारते हैं। सरपंच साहब को हैरानी हुई, क्या सच में ऐसा होता है, अरे हमारे यहां तो मिट्टी का घड़ा ही यह काम करता है। उनको डाकिया की बात रास नहीं आई और वे वहां से उठ खड़े हुए। गांव में ही एक रिटायर्ड फौजी निवास करते थे। सभी लोग उनके पास

पहुंचे, फौजी को सभी ने प्रणाम किया। फौजी दादा को ऊंचा सुनाई देता था, इसलिए उनको इस समस्या से अवगत कराने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही थी। फौजी दादा बोले, ‘ अरे लैपटॉप, तो कोई विदेशी हथियार मालूम होता है, परंतु यह सरकार बच्चों को क्यों देना चाह रही है? क्या तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है जो सरकार बच्चों को हथियार से ट्रेनिंग करवाना चाहती है?’।

गांव वाले फौजी दादा की बात सुनकर डर गए, क्या वास्तव में लैपटॉप किसी प्रकार का हथियार है, अब उन्हें डर सा लगने लगा आखिरकार यह बला लैपटॉप चीज क्या है। दुर्गेश की माँ बोली, ‘यह सरकार भी बड़ी अजीब है, अरे कुछ पैसा - वैसा दे देती तो हमारी बिटिया की शादी में भी काम आ जाता, यह मनहूस लैपटॉप देने की क्या आवश्यकता है। यह कहते वह सर पकड़कर रोने लगी। दुर्गेश के पिता वहां से चले आए और कहने लगे, ‘हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए लैपटॉप के नाम पर पता नहीं कौन सी उलूल-जलूल चीज हमको देना चाहते हैं, पता चला यह हमारी ही जान की दुश्मन ना निकल जाए। नहीं-नहीं हम यह पुरस्कार लेने नहीं जाएंगे।’ गांव के मुखिया बोले, ‘नहीं-नहीं, पुरस्कार लेने तो जाना ही पड़ेगा आखिर यह सरकारी पुरस्कार है, नहीं लिया तो सरकार हमारी जान की दुश्मन हो जाएगी और वैसे भी सरकार हमसे लेती ही रहती है और कभी कुछ देती नहीं, आज पहली बार कुछ देने की सोच रही है तो हम लेने से कैसे इंकार कर सकते हैं। हमें अवश्य ही इस पुरस्कार को लेने जाना पड़ेगा। ‘अब समस्या ये है कि हमें यह पता नहीं है पुरस्कार क्या है? कितना बड़ा है? क्या यह खतरनाक है? या एक सरकार का फिजूल खर्च जो हमारे किसी काम नहीं आने वाला है।’ उन्होंने दुर्गेश के पिता को समझाया और अगली सुबह सभी ग्रामवासियों को गांव की चौपाल में बुलाया।

अगली सुबह सभी ग्रामवासी गांव की चौपाल में एकत्रित हुए, सभी को इस समस्या से अवगत कराया गया, गांव वालों ने इस समस्या का मिलकर सामना करने की ठान ली। खैर-खैर करके वह दिन आ ही गया। गांव वालों ने दो ट्रेक्टर ट्राली कर ली एक ट्राली पर सभी गांव के लोग लद गए और दूसरी ट्राली पर उस लैपटॉप को लाने के लिए शहर के लिए निकल लिए। सभी अपने घर से जो भी हथियार हो सकता था, लेकर निकल पड़े। फौजी दादा अपनी बन्दूक की नली बार-बार साफ कर, सरपंच को दिलासा दे रहे थे कि उनके रहते डरने की कोई बात नहीं है और सब कुछ ठीक ही होगा। वहीं बाकी गांव वाले रास्ते भर भजन कीर्तन करते हुए बढ़े जा रहे थे। दुर्गेश के पिता मुंह लटकाये, दुर्गेश के संग बैठे थे। वहीं दुर्गेश शून्य की मुद्रा में बैठी हुई थी, उसकी माँ ने तो आने से ही मना कर दिया था। करीब चार घंटे की यात्रा के पश्चात, वे लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए।

मुख्यमंत्री साहब का हैलीकॉप्टर उतर चुका था और लैपटॉप वितरण होने ही वाला था। गांव वालों का डर अब और बढ़ने लगा था, क्योंकि अब दुर्गेश को लैपटॉप मिलने वाला था और उसका नाम कभी भी पुकारा जा सकता था। दुर्गेश अपने बाबूजी के समीप खड़ी टकटकी लगाए मुख्यमंत्री का भाषण सुन रही थी और मन ही मन बहुत डरी हुई थी। उसके बाबूजी उसे दिलासा दे रहे थे कि डरने की कोई जरूरत नहीं है गांव वाले सब मिलकर उसका सामना करेंगे और उसने आते समय भगवान के मंदिर में नारियल चढ़ाए थे और यह भी मन्नत मांगी थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम को एक सौ एक रुपया का प्रसाद और सभी ग्रामवासियों को भोजन करवाएंगे। दुर्गेश के पिता को यह विश्वास था ईश्वर उसकी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया है।

तभी लैपटॉप वितरण शुरू हुआ और सभी उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं को लैपटॉप मिलने लगा। गांव वाले हैरान थे कि लैपटॉप तो एक बड़े से भूरे बाक्स में सभी छात्रों के हाथ में दिया जा रहा है और सभी छात्र खुशी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए फोटो भी खिंचवा रहे हैं। इससे उनका यह डर शांत हो रहा था कि यह कोई भयानक वस्तु नहीं है। फिर भी उस भूरे से बक्से में क्या है, यह जिज्ञासा अभी भी शांत नही हुई थी। अंततः दुर्गेश का नाम पुकारा गया। दुर्गेश मंच पर दबे पांव अपना पुरस्कार लेने पहुंची। मुख्यमंत्री जी ने उसे भी वैसा एक भूरा सा डिब्बा पकड़ा दिया। यह डिब्बा बहुत भारी नहीं था और बहुत बड़ा भी नहीं था। लेकिन अभी भी गांव वालों में उत्सुकता व्याप्त थी, सभी गांव वाले दुर्गेश के मंच से उतरते ही उस पर मानो टूट पड़े। ‘क्या है क्या है’ कर-कर उससे पूछने लगे। एकदम से भीड़ आता देख पुलिस वाले ने गांव वालों को डांटना शुरू किया और मंच से किनारे ले गया। गांव वाले पुलिस वाले से पूछने लगे कि आखिर यह

क्या बला है। पुलिस वाले ने बताया 'तुमको नहीं मालूम यह क्या चीज है? यह लैपटॉप है'। गांव वाले पूछे इससे क्या होता है यह क्या चीज है पुलिस वाले ने बताया यह लैपटॉप एक कम्प्यूटर होता है और इस कम्प्यूटर से बहुत सारे काम किये जाते हैं। कम्प्यूटर आजकल हर ऑफिस में दिखाई देता है और ये बहुत काम की चीज है। गांव का हरिया बोला 'हाँ हम कम्प्यूटर जानते हैं, इसी से तो हम पिछले साल सिपाही भर्ती का फार्म भरवाने शहर में गए थे, अरे चाचा बड़ी काम की चीज है।'

गांव वालों को अब महसूस हो रहा था, वे कितने मूर्ख बन गए थे, शाम तक वह लैपटॉप लेकर अपने गांव पहुंचे। सभी हंसी-ठहाके लगा रहे थे और गांव में जश्न का मौहाल था। दुर्गेश के पिता ने सभी गांव वालों को भोजन कराया और गांव वालों ने उसकी मदद भी की। सभी प्रसन्न थे और मन ही मन सोच रहे थे आज जैसे-तैसे करके इस बला से मुक्ति मिली। लैपटॉप दुर्गेश के हाथ में था और वह प्रसन्न थी। लेकिन उसे लैपटॉप चलाना नहीं आता था। गांव के सरपंच ने उससे कहा कि 'बिटिया जैसे हम आज मूर्ख बने हैं वैसा भविष्य में न बनें इसलिए तुम शहर जाकर इसे चलाना सीख लो।' दुर्गेश ने मन बना लिया कि वह ट्रेनिंग लेने जाएगी और भविष्य में गांव के लिए कुछ अच्छा करेगी। दुर्गेश की बात को सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चले गए।

गीतिकाएँ

■

डॉ. शेषपाल सिंह 'शेष'

अतिथि रचनाकार

अन्तर्नयन

उलझनों की भीड़ में है, जिंदगी ठहरी हुई।
अड़चनों का हल मिलेगा, सोच यदि गहरी हुई।

बहुत मिलते हैं थपेड़े, हलचलें आयीं-गयीं,
नाव डूबेगी तभी जब, चेतना बहरी हुई।

तन यही हीरा हुआ है, रत्न-मणि-मोती हुआ,
फँस गये भ्रमजाल में तब, देह यह ठठरी हुई।

दृष्टि है जिस ओर अपनी, ज्ञान-ग्रन्थ वहीं खुला,
नजर सोयी, अगर खोई, जड़ हुई, पथरी हुई।

चढ़ गया ऊँचा प्रलोभन, गन्ध है अपराध की,
चाल है संदिग्ध खल की, ढाल है जहरी हुई।

हृदय के पट खोल देखें, सामने विस्तार है,
बन्द हैं अन्तर्नयन तो, हर गली सँकरी हुई।

खोजनी होंगी दिशाएं, किधर काँटे-सुमन हैं?
पुष्पगन्धित राह सम्मुख, शहद-मधु-मिसरी हुई।

बलिदान

राष्ट्र रोया दुखद कुर्बानी हुई।
सैन्यबल की जान बलिदानी हुई।

एक धोखा पुनः सूची में जुड़ा,
चीन-पाकिस्तान शैतानी हुई।

मन-हृदय भीतर तलक घायल हुआ,
आक्रमित विश्वास, हैरानी हुई।

वतन का औदार्य चोटिल हो गया,
अनल है अब अनिल तूफ़ानी हुई।

घात का परिणाम घातक बन गया,
शान्ति खोयी, जंग मैदानी हुई।

चोट खाती जब हमारी सभ्यता,
बदलते हम चाल पहचानी हुई।

जाल में अब धूर्त-कुंठित फँस गये,
तय हुआ प्रतिघात, निगरानी हुई।

लोक लेखा समिति में ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण

अमरेश कुमार

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) की प्रतियाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक के सचिव जैसा भी मामला हो, को संसद या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल में प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के लिए भेजता है।

विधान मंडल के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रखे जाते ही यह लोक लेखा समिति की संपत्ति हो जाती है, तत्पश्चात लोक लेखा समिति इन प्रतिवेदनों की जाँच हेतु इसमें निहित कंडिकाओं को तीन वर्गों में विभाजित करती है -

1. महत्वपूर्ण कंडिकाएं जिनका चयन समिति द्वारा गहराई से जाँच करने के लिए किया जाता है, इन कंडिकाओं के संबंध में समिति द्वारा मौखिक साक्ष्य भी लिया जाता है।

2. ऐसी कंडिकाएं जिनके संबंध में समिति द्वारा लिखित जानकारी मंगाई जाती है और साधारणतः इसी लिखित जानकारी के आधार पर अपने प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया जाता है।

3. बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में सम्मिलित कंडिकाओं से भिन्न कंडिकाएं।

समिति द्वारा केवल वर्ग 'क' एवं 'ख' की कंडिकाओं के संबंध में विस्तृत अग्रिम जानकारी मांगी जाती है।

विभागीय कार्यवाही के ज्ञापनों (EN) का प्रदाय

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की कंडिकाओं / आक्षेपों के संबंध में विभाग द्वारा की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी प्रपत्रानुसार प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे जाने से अधिकतम 3 मास की अवधि में स्वमेव वित्त विभाग के माध्यम से समिति एवं महालेखाकार को भेजी जाएगी।

इसी तरह विभागों द्वारा किये गए व्यय के संबंध में जानकारी वित्त विभाग की टीप सहित समिति एवं महालेखाकार को भेजी जाएगी।

लिखित जानकारी हेतु प्रश्नों की सूची

महालेखाकार कार्यालय से किसी लेखापरीक्षा कंडिका के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के ज्ञापन की प्रतियाँ प्राप्त होने के बाद, यथाशीघ्र एक प्रश्नों की सूची तैयार की जाएगी जिसमें विस्तृत / आंकड़ों संबंधी जानकारी मांगी गई हो तथा समिति को अग्रिम जानकारी प्रस्तुत करने के लिए इस सूची को संबंधित विभाग को भेजा जाता है। समिति द्वारा मांगी गई जानकारी को संबंधित विभाग द्वारा टिप्पणियों / ज्ञापनों के रूप में भेजा जाता है। समिति को भेजे गए टिप्पणियों / ज्ञापनों की प्रतियाँ सदस्यों को भेजी जाती हैं और उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि इनकी विषय सामग्री को गोपनीय रखा जाए।

अध्ययन दौरा

समिति परियोजनाओं / सरकारी प्रतिष्ठानों का मौके पर जाकर अध्ययन कर सकती है ताकि उसे उनसे संबंधित लेखाओं / लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करने के लिए उनके वास्तविक कार्यपालन के ब्यौरे की जानकारी प्राप्त हो सके।

मौखिक साक्ष्य के लिए प्रश्न

समिति के बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से काफी पहले महालेखाकार से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों संबंधी ज्ञापन प्राप्त किया जाता है। ज्ञापन तथा अन्य सामग्री के अध्ययन के आधार पर संबंधित विभागों से अग्रिम जानकारी मंगाई जा सकती है जिसका उपयोग समिति द्वारा साक्ष्य के दौरान किया जा सकता है।

(संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त विभागीय ज्ञापन के आधार पर समिति के उपयोगार्थ महालेखाकार द्वारा प्रश्नावली / अभिमत तैयार कर विधानसभा सचिवालय को भेजी जाती है।)

अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों संबंधी ज्ञापन, विभाग से प्राप्त जानकारी एवं लेखापरीक्षकों द्वारा मौखिक साक्ष्य के लिए प्रश्नों की सूची बैठक की तारीख से पूर्व समिति के सदस्यो में परिचालित की जाती है ताकि समिति के सदस्यों को विषय वस्तु पर अध्ययन हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके।

मौखिक साक्ष्य हेतु समिति की बैठक में शामिल होने वालों की सूची

1. समिति के सभापति एवं समिति के अन्य सदस्य एवं उनके सहयोगी
2. संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं उनके सहयोगी
3. महालेखाकार / उपमहालेखाकार एवं उनके सहयोगी।

महालेखाकार / उप-महालेखाकार एवं उनके सहयोगी समिति की बैठक में शामिल होते हैं और लेखाओं एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच / परीक्षण में समिति की सहायता करते हैं। महालेखाकार इस प्रयोजनार्थ अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का ज्ञापन तैयार करता है जिस पर समिति द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की सिफारिश करना चाहता हो। वह लेखाओं में ऐसी बातों का पता लगाता है जिनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकें तथा उन्हें ऐसी सम्बद्ध जानकारी के साथ पेश करता है जो उसने प्राप्त की हो तथा उन पर आगे कार्यवाही करने का विचार करने और रिपोर्ट देने का कार्य समिति पर छोड़ देता है। महालेखाकार को समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जा सकता है।

साक्षियों का साक्ष्य लेने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले सभापति प्रश्न करता है, तत्पश्चात् सदस्यों को, जिन्होंने विचाराधीन विषय का विशेष अध्ययन किया हो, प्रश्न करने तथा अन्य सदस्यों को चर्चा से उत्पन्न प्रश्न उठाने का अवसर दिया जाता है।

2. साक्षियों से जानकारी और तथ्य मालूम करने के लिए प्रश्न किये जाते हैं ताकि सदस्य स्थिति का सही परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर सकें। विभाग / संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए बयान सामान्यतः तब तक सही माने जाते हैं, जब तक कि किसी सदस्य के पास उसके विपरीत जानकारी न हो, ऐसे मामलों में संबंधित सदस्य अपनी जानकारी की पुष्टि के लिए वस्तुपूरक ढंग से प्रश्न पूछ सकता है।

3. ऐसी स्थिति में जब साक्षी किसी बात के बारे में तत्काल स्पष्ट जानकारी न दे पाए तब सभापति उसे इस बात की अनुमति दे सकता है कि वह इसके बाद यथाशीघ्र सचिवालय को लिखित उत्तर भेजें।

4. समिति द्वारा साक्षियों का साक्ष्य लेते समय उठने वाले किसी प्रश्न पर किसी सदस्य द्वारा अपेक्षित लिखित जानकारी अथवा वक्तव्य के बारे में सभापति को सूचित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वह जानकारी मांग सकता है।

5. साक्ष्य के दौरान महालेखाकार, सभापति की अनुमति से विचाराधीन किसी प्रश्न पर साक्षी को स्पष्टीकरण दे सकेगा अथवा उससे स्पष्टीकरण ले सकेगा।

6. साक्ष्य लिए जाने के पश्चात ऐसे प्रश्नों की, जिनके संबंध में समिति और जानकारी प्राप्त करना चाहती है, एक सूची संबंधित विभाग को भेजी जाती है। उत्तर प्राप्त हो जाने पर उन्हें समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है।

समिति द्वारा सिफारिशी प्रतिवेदन (Recommendation Report) तैयार किया जाना

समिति द्वारा लेखाओं / लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के किसी भाग की जाँच पूरी किए जाने के बाद समिति एक प्रतिवेदन के रूप में अपनी सिफारिशें तैयार करती है जिसे सभापति के अनुमोदन के पश्चात प्रारूप पर समिति विचार करती है और उसे उसी रूप में अथवा कुछ संशोधनों सहित स्वीकार करती है जिसे प्रारूप सिफारिशी प्रतिवेदन कहा जाता है। इस प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा भी तथ्यात्मक जाँच की जाती है और यदि किन्हीं परिवर्तनों का सुझाव उक्त विभाग द्वारा दिया जाता है तो समिति का सभापति प्रतिवेदन पर स्वीकृति देते समय उन पर विचार करता है।

विधानसभा में सिफारिशी प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाना

1. समिति के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सभापति प्रतिवेदन को अंतिम रूप देता है, उस पर हस्ताक्षर करता है और उसे विधानसभा में प्रस्तुत करता है। जब तक प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक उसे गोपनीय रखा जाता है।

2. यदि समिति ऐसे समय में प्रतिवेदन पूर्ण कर ले जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो समिति के सभापति उसे विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। अध्यक्ष, नियम 197 के उपबन्धों के अधीन प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के आदेश दे सकेगा।

प्रतिवेदन अगले सत्र में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला सदस्य इस आशय का एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था उस समय वह प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिए अध्यक्ष द्वारा नियम 197 के अधीन आदेश दिया गया था।

विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात यथाशीघ्र उसकी प्रतियाँ विधानसभा सदस्यों तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा समिति सचिव उसकी प्रतियाँ वित्त विभाग के शासन सचिव, महालेखाकार और शासन के अन्य संबंधित प्रशासकीय विभागों के पास भेजेगा। शासकीय सचिवों से अनुरोध किया जाएगा कि वे समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक नियतकालिक विवरण भेजा करें। संबंधित विभाग द्वारा विधानसभा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छः महीने के भीतर अथवा निर्धारित समय में, प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के संबंध में विधानसभा सचिवालय को जानकारी देनी होती है। इस प्रकार के विवरण का संकलन समिति सचिव करेगा और वह उनकी प्रगति देखता रहेगा तथा समय-समय पर समिति के सामने आवश्यक विचार हेतु प्रस्तुत करता रहेगा।

जिन मामलों में सरकार किन्हीं कारणों से समिति की सिफारिश से सहमत नहीं होती, उनमें वह अपना विचार समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देती है।

सिफारिशी प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्राप्त उत्तरों पर विचार एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन (ATR) का तैयार किया जाना

सिफारिशी प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी उत्तरों पर समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा महालेखाकार से उन पर अपनी टिप्पणी देने के लिए अनुरोध किया जाता है।

समिति द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई टिप्पणियों के आधार पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया जाता है तथा महालेखाकार एवं वित्त विभाग से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर सभापति द्वारा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जाता है तथा उसे सामान्य रूप से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

समिति द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से सरकार का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। लंबित सिफारिशों के बारे में सरकार से अब यह अपेक्षा की जाती है कि वह की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में समिति को सूचित करे और मूल प्रतिवेदन में निहित पूर्व सिफारिशों के संबंध में जहाँ पहले उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा केवल अंतरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनके अंतिम उत्तर दिये जाएँ। इस प्रणाली से समिति की सिफारिशों पर विधानसभा और जनसाधारण को सरकार के अंतिम उत्तरों के बारे में जानकारी मिलती है।

महालेखाकार की भूमिका – लोक लेखा समिति में ऑडिट रिपोर्ट के परीक्षण / जाँच संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के मौखिक साक्ष्य या लिखित उत्तर के माध्यम से की जाती है। रिपोर्ट में सम्मिलित कंडिकाओं में से कुछ का चयन मौखिक साक्ष्य के माध्यम से परीक्षण जाँच तथा शेष कंडिकाओं का चयन लिखित उत्तर के माध्यम से परीक्षण / जाँच हेतु किया जाकर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एक चयन प्रस्ताव तैयार कर समिति को सहायतार्थ भेजा जाता है।

2. महालेखाकार / उपमहालेखाकार एवं उनके सहयोगी लोक लेखा समिति की बैठकों में शामिल होते हैं और लेखाओं एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच / परीक्षण में समिति की सहायता करते हैं।

3. ऑडिट रिपोर्ट के विधान मंडल के पटल पर रखे जाने के उपरांत तीन माह के भीतर संबंधित विभाग द्वारा रिपोर्ट पर की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी समिति और महालेखाकार को भेजी जाती है जिसे व्याख्यात्मक टिप्पणी (EN) या विभागीय उत्तर कहा जाता है। समिति द्वारा इन विभागीय उत्तरों के आधार पर यदि अभिमत (Comments) मांगा जाता है तो महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना अभिमत / प्रश्नावली (Comments / Questionnaire) समिति को भेजा जाता है।

4. समिति द्वारा लेखाओं / लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के किसी भाग की जाँच पूरी किए जाने के बाद एक प्रतिवेदन के रूप में अपनी सिफारिशें तैयार की जाती हैं जिसे प्रारूप सिफारिशी प्रतिवेदन (Draft Recommendation Report) कहते हैं। यह प्रतिवेदन तथ्यात्मक सत्यापन (Vetting) हेतु महालेखाकार कार्यालय भेजा जाता है जिसे महालेखाकार कार्यालय अपने अभिलेखों से प्रतिवेदन का तथ्यात्मक सत्यापन (Vetting) कर समिति को वापस भेज देता है।

(तत्पश्चात समिति के सभापति द्वारा सिफारिशी प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और फिर इसके मुद्रण पश्चात मुद्रित प्रति वित्त विभाग सहित सभी संबंधित विभागों एवं महालेखाकार को भेजी जाती है।)

5. सिफारिशी प्रतिवेदनों पर छः महीने के भीतर विभागों द्वारा की गई कार्यावाही की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा समिति तथा महालेखाकार कार्यालय को भेजी जाती है जिसे कार्यान्वयन टीप (ATN) कहते हैं। इन कार्यान्वयन टीप (ATN) पर यदि समिति द्वारा अग्रेत्तर अभिमत (Further Comments) मांगा जाता है तो महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर अभिमत (Comments) भेज दिया जाता है।

6. समिति द्वारा कार्यान्वयन टीप, महालेखाकार एवं वित्त विभाग के टिप्पणियों के आधार पर एक प्रारूप कार्यान्वयन प्रतिवेदन (Draft ATR) तैयार किया जाता है जिसे तथ्यात्मक सत्यापन (Vetting) हेतु महालेखाकार के पास भेजा जाता है और महालेखाकार कार्यालय द्वारा इसे निर्धारित समय पर अपने अभिलेखों से तथ्यात्मक सत्यापन (Vetting) कर समिति को वापस भेज दिया जाता है।

(तत्पश्चात समिति के सभापति द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और फिर इसके मुद्रण पश्चात मुद्रित प्रति वित्त विभाग सहित सभी संबंधित विभागों एवं महालेखाकार को भेजी जाती है।)

7. कार्यान्वयन प्रतिवेदन (ATR) में समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं एवं ऐसी सिफारिशों जिस पर विभाग द्वारा पूर्ण रूप से कार्यवाही किया जाना शेष हैं, विभाग इसे पूरा कर इसकी जानकारी समिति, वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय को देगा ताकि

विधानसभा एवं जनसाधारण को सरकार के अंतिम उत्तरों के बारे में जानकारी मिलती रहे।

उक्त विवरणों से स्पष्ट है कि लोक लेखा समिति में ऑडिट रिपोर्ट के परीक्षण में महालेखाकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उपर्युक्त सभी कार्यों के सुचारू रूप से निष्पादन के लिए महालेखाकार कार्यालय में एक अनुभाग रिपोर्ट - पी.ए.सी., के नाम से कार्यरत है जो विभिन्न वर्षों के ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही संबंधित विभागों एवं लोक लेखा समिति में किस स्तर पर लंबित है, का विवरण रखता है तथा समय-समय पर इसकी जानकारी लोक लेखा समिति एवं मुख्यालय (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय) नई दिल्ली को देता है।

गजल

■

हरिओम कुमार

कनिष्ठ अनुवादक

यूं गिर के राह में खुद को है संभाला हमने
खुद ही से पांव का कांटा है निकाला हमने

चोट खाई, गिरे, संभले, न मानी हार कभी
यूं खुद ही खोला हर उलझन का है ताला हमने

राह के कांटों ने, पत्थर ने दिया जब जितना
हँस के पैरों में सजाया है वो छाला हमने

जख्म खाए हैं कई बार जमाने से मगर
भूल से भी कभी पत्थर न उछाला हमने

ख्वाहिशें, सपनों को कई बार दबाया लेकिन
औरों के हक का न छीना है निवाला हमने

खौफ क्या मुझको अंधेरों का भला होगा कहो
जला के खुद को भी किया है उजाला हमने

उनसे तो मेरी मोहब्बत भी संभाली न गई
उनकी नफरत को भी जी-जान से पाला हमने

ख्वाब, ख्वाहिश ये आरजू-ए-जिंदगी के लिए
बेताब मौत को कई बार है टाला हमनें

बड़ा बनते-बनते बहुत छोटा बन जाता है इन्सान

■

आकाश सिंह
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

डर लगता है मुझे
बड़ा और ऊँचा बनने में
डर लगता है मुझे बड़ा और ऊँचा बनने में
क्योंकि बड़ा बनते-बनते
बहुत छोटा बन जाता है इन्सान
प्यार, मोहब्बत, दया धर्म से
प्यार, मोहब्बत और दया धर्म से ऊपर उठ जाता है इन्सान
डर लगता है मुझे बड़ा और ऊँचा बनने में
क्योंकि बड़ा बनते-बनते
बहुत छोटा बन जाता है इन्सान
धन-दौलत की दौड़ में
पद-प्रतिष्ठा की होड़ में
धन-दौलत की दौड़ में
पद-प्रतिष्ठा की होड़ में
खुद को बिसरा देता है इन्सान
डर लगता है मुझे, बड़ा और ऊंचा बनने में....
एक नहीं, दो नहीं
एक नहीं, दो नहीं
याद होती हैं मिल्कियतें तो कई
बस मैं और मेरे में
खुद को बिसरा देता है इन्सान
डर लगता है मुझे, बड़ा और ऊँचा बनने में ....
और लाओ-और लाओ, ये भी लाओ-वो भी लाओ
और लाओ-और लाओ, ये भी लाओ-वो भी लाओ
इसका भी लाओ - उसका भी लाओ
इसका भी लाओ और उसका भी लाओ, ऐसे नहीं तो
कैसे भी लाओ
सब कुछ होता है, फिर भी
कितना निर्धन बन जाता है इन्सान
डर लगता है मुझे बड़ा और ऊँचा बनने में
क्योंकि बड़ा बनते-बनते
बहुत छोटा बन जाता है इन्सान
जात-पात की राजनीति में,
ऊँच-नीच की कूटनीति में
जात-पात की राजनीति में,
ऊँच-नीच की कूटनीति में
इस पाखंड में भी, उस पाखंड में भी
इस पाखंड में भी, उस पाखंड में भी
कितने विषाद कर लेता है इन्सान
डर लगता है मुझे बड़ा और ऊँचा बनने में.....
न बन पाया जो बहुत बड़ा, तो भी क्या
न बन पाया जो बहुत बड़ा, तो भी क्या
क्योंकि
बड़ा बनते-बनते बहुत छोटा बन जाता है इन्सान
प्यार, मोहब्बत दया धर्म से,
प्यार, मोहब्बत दया धर्म से ऊपर उठ जाता है इन्सान
पद-पैसे की अन्धी दौड़ में पिस के रह जाता है इन्सान
डर लगता है मुझे, बड़ा और ऊँचा बनने में
क्योंकि बड़ा बनते-बनते बहुत छोटा बन जाता है इन्सान
बड़ा बनते-बनते बहुत छोटा बन जाता है इन्सान ....

वैतरणी पार

दीक्षा चौहान
डाटा एंट्री ऑपरेटर

रथ भाड़े का इक मिल जाए,
मुझे जाना है वैतरणी पार।

वो नहीं जिसे खींचे घोड़े सात,
वो नहीं जिसमें हो कृष्ण का साथ,
पर वो जिसे ढोएं कंधे चार,
जो ले जाए वैतरणी पार।

सीधी है या है गोलेदार,
राह से हूँ पूर्ण अपरिचित मैं
पर ठीक पता है मुझको ये,
मेरी मंजिल है वैतरणी पार।

उस देश के दर्शन पाने हैं,
जहाँ फरार छिपे हैं साथी मेरे।
क्या हरी-भरी घाटी है वहाँ?
या है पर्वत बर्फीले?

कहनी हैं कई कथाएं मुझे,
उन्हें भी कहनी होंगी मुझसे,
ले चलो उसी रियासत में
जहाँ भाग गए थे तात मेरे।

क्यूं बसे पिछड़े गाँव
न चिट्ठी चले, न
यहाँ उंगलियाँ ही
इतना आगे है देश

धड़ यहीं त्यागना पड़ता है,
उस राज्य में शामिल होने को,
चख सके न रंग नैनों से,
न घर की रोटी खाएं वहाँ।

न खेल सकें, न दौड़ सकें,
पैर छोड़े, छोड़े हाथ यहाँ,
पर भाग के इतने जीव गए,
कोई जादू है वैतरणी पार।

अर्थी पे बैठ के जाती हूँ,
एक यात्रा करके आती हूं,
देह भस्म नहीं करना मेरी,
निश्चित ही लौटके आऊँगी।

पर विस्मित न हो जाऊँ वहां,
और बस जाऊँ वैतरणी पार।

नोट - हिंदु मिथक शास्त्र के अनुसार, मृत्यु पश्चात जीवात्मा भूलोक का त्याग करके यमलोक जाती है एवं पुनर्जन्म न होने तक वहीं निवास करती है। भूलोक एवं यमलोक के बीच वैतरणी नाम की नदी बहती है।

मेरी जिंदगी से बरस कम हुआ

■

मोहन चंद गुप्त
सेवानिवृत्त - कार्यालय महालेखाकार

मनाओ खुशी सब करो ये दुआ।
मेरी जिंदगी से बरस कम हुआ॥

क्यूं ये कहते हुआ है मुझे रंज-गम मेरी जिंदगी से बरस कम हुआ।
जो देखा था मैंने पुराना समय, ये देखा न जाता कि अब जो हुआ॥

दिखता कहीं भी न इंसान है, सहारा मेरा एक भगवान है।
इधर तो खुशी की तमन्ना मगर, बगल में छुरी मुख में श्री राम हैं॥

अपने जहां की न परवाह जिन्हें, वे कैसे बुजुर्गों की सेवा करें।
बुढ़ापे में जिनको सहारा न हो, तो कैसे वो माँ-बाप देंगे दुआ॥

इक्कीसवीं सदी का ये अट्ठाईस अगस्त, इज्जत से गुजरे ये पैंसठ बरस।
बीतेगा कैसे ये जीवन कठिन, हर एक जब लहू का प्यासा हुआ॥

मुझे तो खुशी है, खुशी ही खुशी, प्रभु ने मेरी जिंदगी पार की।
सहारा तेरा भी तो कुछ कम न था, तेरे प्यार से ही तो सब कुछ हुआ॥

मेरी भी तो भूलें कहीं कम न थीं, अन्जाने में अपराध कितने हुए।
कब तक चलेगा यही सिलसिला, और कब तक लगेगी मुझे बद्दुआ॥

क्यों ये कहते हुआ है मुझे रंजोगम, मेरी जिंदगी का बरस कम हुआ।
जो देखा था मैंने पुराना समय, देखा न जाता जो अब तक हुआ॥

गीत गाऊंगा सदा मैं तेरे प्यार के, चला जाऊंगा जिन्दगी हार के।
देखा न जाएगा अगले बरस, इस मुकां से भी ज्यादा अगरचे हुआ॥

यादें तुम्हारी ही ले जाऊंगा, आंखों में होगी तुम्हारी छवि।
बधाई मुझे दो मेरे आत्मन! क्षमा हो जो अपराध हमसे हुआ॥

मनाओ खुशी सब करो ये दुआ।
मेरी जिंदगी का बरस कम हुआ॥

आस्तिक - हम - नास्तिक और धर्म ....

■

आकाश सिंह

वरिष्ठ लेखापरीक्षक

शायद, मैं इस योग्य नहीं कि जिस विषय के संबंध में आज चर्चा करने जा रहा हूं, उससे संबंधित हर एक तथ्य को पूरी सटीकता या शत-प्रतिशतता के साथ आपके समक्ष रख सकूं या फिर आपको उसके हर एक पहलू की गम्भीरता में पूर्णता के साथ उतार सकूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, जो हमारी सतही बुद्धि का विषय नहीं होतीं और उन्हें समझने और स्वीकार करने के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण और साहस की जरूरत होती है। फिर भी अपने विवेक से प्राप्त की गई समझ, और पूर्ण ईमानदारी के साथ मैं ऐसी चेष्टा करता हूँ ....

भगवान ! भगवान होता है या नहीं, यह एक बड़ा ही जटिल और रहस्यमयी विषय है और उससे बड़ी जटिलता का जन्म तब होता है, जब हम अपने स्वार्थ और सुविधानुसार इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान होता है। भगवान होता है ! इस समाज में इस बात को लेकर बड़े ही विचार और मत हैं और उससे भी कहीं ज्यादा हैं वैचारिक मतान्तर। कोई कहेगा भगवान ऐसा होता है, तो कोई कहेगा भगवान वैसा होता है, हिन्दू का भगवान अलग और मुस्लिम का भगवान अलग, अमीर का भगवान अलग और गरीब का भगवान अलग, शक्तिशाली का भगवान अलग और निर्बल का भगवान अलग, मेरे देश का भगवान अलग और तेरे देश का भगवान अलग। अर्थात इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी चाहत और जरूरत के हिसाब से भगवान का वर्गीकरण करने और उसे मानने की पूरी छूट है और ऐसा इसलिए, क्योंकि हम, हमारे पूर्वजों से सदियों से ऐसा ही करना सीखते आये हैं। उन्होंने ऐसा कहा था या कहा है तो ऐसा ही होगा और हम बिना सोचे समझे ही खुद से बात किये बिना ही इस विचारधारा का पूरी तन्मयता से भरण-पोषण करने लग जाते हैं। हर गली, मोहल्ले, गाँव और इस तरह से आगे जाने पर आप लगभग सम्पूर्ण धरती पर (जहाँ तक इन्सानों की पहुँच है) धर्म और भगवानों की कई विविधतायें पायेंगे, जैसे कि - किसी का भगवान धन विशेषज्ञ होगा, तो किसी खास का भगवान बल विशेषज्ञ होगा, किसी विशेष गली का भगवान सुःख विशेषज्ञ होगा, तो हो सकता है कि किसी अन्य अगली गली, मोहल्ले, प्रान्त या फिर देश का भगवान शान्ति, सौन्दर्य या अन्य किसी कला का विशेषज्ञ हो अर्थात इस धरती पर जितने प्रकार के भौतिक सुख ज्ञात हैं कम से कम हमें उतने प्रकार के तो भगवान मिल ही जायेंगे। क्यों? क्योंकि, प्राचीन समय से ही स्वयं को धर्म का सच्चा रखवाला घोषित करने वालों ने धर्म को जीवित रखने का जिम्मा ऐसे ही मानव निर्मित भगवानों के हाथों में दे रखा है, जो कि विभागवार बंटे हुए हैं और इस प्रयोजनार्थ अनेकों मत एवं कथाओं का भी महिमामण्डन कर रखा है, जिन पर संदेह करने का साहस हम में से कम में ही है क्योंकि हमें ऐसा सदियों से ही सिखाया जाता रहा है कि भगवान के अस्तित्व को नकारने वाले अधर्मी और पापी होते हैं और ऐसा करने पर उनका या उनके परिवार का बहुत बुरा तक हो सकता है (जिसमें नर्क की यात्रा तक शामिल हो सकती है)। मैं ऐसी किसी कथा का न तो विरोध करना चाहता हूं और न ही समर्थन। परन्तु एक बात जरूर जानता हूँ कि इनकी प्रमाणिकता और सटीकता की पुष्टि कौन करेगा? कौन? स्वार्थ और स्वयं को उस परमात्मा तुल्य बना बैठे धर्म के ठेकेदार या फिर हम और हमारा विवेक स्वयं? हो सकता है यह सब सच भी हो लेकिन इस बात की क्या विश्वसनीयता कि इतने हजारों वर्षों से संबंधित कथाओं के मूल रूप और स्वरूप में छेड़छाड़ न हुई हो क्योंकि ये तो हमेशा से ही मानव स्वभाव रहा है कि उसने सदैव अपने सुविधानुसार चीजों का सृजन, विनाश और उसमें छेड़छाड़ की है। वैसे अगर केवल भारत देश की बात की जाए तो हम भारतवासी सदा से ही भोले रहे हैं और इस कदर के भोले रहे हैं कि भगवान बनाने में

कभी कोई कंजूसी नहीं की है। प्राचीन काल से अभी तक हमारे द्वारा भगवान बनाने का सिलसिला लगातार जारी ही है, जिसमें से कुछ एक भगवान तो जीवित रूप में अभी भी मिल जायेंगे (बस वो आपसे मिलने के इच्छुक हों) वो भी गुणगान गाने और फरियाद मांगने के स्थायी पते सहित जैसे कि - दक्षिणी कोलकाता स्थित एक मंदिर में विराजमान भगवान श्री अमिताभ बच्चन जी (यह मंदिर उन भक्तों द्वारा एवं उन भक्तों के लिये बनवाया गया है जो कि डॉन, कालिया, शोले और अमर-अकबर-एंथनी आदि जैसी हिन्दी फिल्मों से लगातार प्रेरणा पा रहे हैं और जो रोज या महीने में कईयों बार जिन्हें देखकर मंत्र-मुग्ध होते रहते हैं), फिर आते हैं कर्नाटक स्थित एक मंदिर में विराजमान भगवान श्री रजनीकांत जी (यह मंदिर तमिल की फिल्मों के पालनहार एवं विज्ञान के नियमों के धुर विरोधी भगवान श्री रजनीकांत जैसा कलाकार बनने की लालसा रखने वाले भक्तों की प्रचण्ड श्रद्धा के वशीभूत होकर बनवाया गया है) और बिहार स्थित मंदिर में विराजमान क्रिकेट के भगवान श्री सचिन तेन्दुलकर जी (क्रिकेट जगत के भगवान के रूप में विख्यात इन भगवान के आप दर्शन कर उत्कृष्ट बल्लेबाज बनने की मनोकामना मांग सकते हैं), वहीं राजनीति के विभाग से माता श्रीमती सोनिया गाँधी जी और बहन कुँवारी सुश्री मायावती जी भी जीवित रहते हुए क्रमशः आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपने पुण्य कर्मों, कठिन तपस्या, प्रचण्ड और पारलौकिक ज्ञान के चलते मंदिरों में प्राण-प्रतिष्ठित हो चुकी हैं और वे दिन दूर नहीं जब इसी क्रम में हमें बहुत जल्द ही दो नये भगवान और मिल जायें - दिल्ली के भगवान प्रभु श्री अरविन्द केजरीवाल जी और अमेठी के भगवान बाल ब्रह्मचारी बाबा श्री राहुल गांधी जी। वहीं कुछ एक भगवान तो ऐसे भी हैं, जो बिस्कुट, सन्तरे और समोसे की हरी चटनी खिलाकर बाहर के मंदिरों में न सही तो कम से कम घरों के मंदिरों और गले के लॉकेटों में राम, कृष्ण और शिव के साथ स्थान साझा कर ही रहे हैं।

आज ये बात पढ़ने और सुनने में भले ही साधारण सी या हास्यास्पद लगे परन्तु एक बात जान लीजिये यह बिल्कुल सत्य है और पुरानी परिपाटियों को देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि आज से तकरीबन 100 से 200 वर्षों या फिर 500 या 1000 वर्षों बाद इन भगवानों या अन्य ऐसे कई भगवानों की पहुंच और उनका महिमा मंडन न केवल घर-घर में होगा, बल्कि उनके जय-जयकारों से असंख्यों के लाभान्वित होने की कथाएं भी खूब प्रचलित होंगी (जैसा आज होता है)। हर एक व्यक्ति अपने-अपने अनुभवों / उन पर हुई कृपाओं के आधार पर इन भगवानों का बखान करेगा (जैसा कि आज करता है)। कोई बड़ी बात न होगी कि कई और भी नये धर्मों का उदय हो जाये और हमारे द्वारा पाली-पोषी जा रही इस अन्धविश्वास और अन्धभक्ति की परम्परा का फलन-फूलन यूं ही जारी रहे और ऐसा करने में हमारी और शायद आपकी पीढ़ी भी शामिल हो। खैर ....

वहीं दूसरी तरफ इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी टहलते हैं जो अजीब से लगते हैं और प्रायः विचित्र और एक अलग ही अवधारणा देते हुए पाये जाते हैं, जिसमें उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल ऐसे लोग नास्तिक धर्म के अनुयायी होते हैं अर्थात ऐसे लोग भगवान या फिर उसके किसी आयाम या अस्तित्व को प्रचलित धर्मानुसार नहीं मानते हैं क्योंकि ऐसे लोग सुने-सुनाये कथा-किस्सों के स्थान पर प्रायः अपने ज्ञान और विवेक को तवज्जो देना पसन्द करते हैं। ऐसे लोग प्रायः हर क्रिया के बराबर होने वाली प्रतिक्रिया के सिद्धान्त को ज्यादा तवज्जो देते हुए पाये जाते हैं और इन्हें लगता है कि उनके द्वारा किये गये गलत कर्मों को केवल उनके सही कर्म ही काट सकते हैं या कम कर सकते हैं न कि कोई भगवान, धार्मिक स्थान या अन्य कोई मानव निर्मित धार्मिक आयोजन। ये एक ईश्वरवादी होते हैं और इनका ये मत होता है कि यदि वास्तव में कहीं कोई भगवान है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है और सर्वप्रेमी है तो वह इतना बँटा हुआ कैसे हो सकता है? वह इतने भेद-भाव कैसे कर सकता है? कैसे? उसकी नज़र में इन्सान तो छोड़िये धूल के एक कण की भी उतनी ही कीमत होगी, उन जानवरों या उन पेड़ पौधों की भी उतनी ही कीमत होगी, जितनी की एक से दिखने वाले इन्सानरूपी किसी हिन्दू, मुस्लिम, भारतीय, पाकिस्तानी, चीनी, अफ्रीकी या किसी अमरीकी की होगी। शायद यही कारण है कि नास्तिक धर्म के लोग आजकल कम ही पाये जाते हैं क्योंकि इस धर्म में परी कथाएं और लोक लुभावने दृश्य दिखाये जाने की परम्परा नहीं होती है और न ही कुछ पाने के लिए विभागवार बंटे हुए किसी मानव निर्मित भगवान के समक्ष हाथ फैलाने का

प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि हाथ जोड़कर जो कुछ भी मिला है, उसका धन्यवाद अदा करने की तालीम दी जाती है। इस धर्म में केवल वास्तविकता से परिचय करवाया जाता है, स्वयं से साक्षात्कार करवाया जाता है कि कहीं कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारा भगवान है। तुम स्वयं के भगवान हो, तुम स्वयं के मालिक हो, तुम्हारे मन में उठने वाले भाव, विचार और उनके अनुसार किये गये कर्म ही तुम्हारी नियति का निर्धारण करते हैं, तुम्हारी आज की शाम और आने वाले कल का निर्धारण करते हैं।

पूरे लेख को संक्षिप्त करते हुए बस यह कहना चाहता हूँ कि जब आज इस आधुनिक युग अर्थात चाँद, मंगल, कम्प्यूटर और टेलीफोन वाले युग में अन्ध-भक्ति का ये आलम है कि अपने-अपने स्वार्थानुसार भगवान एवं धर्मों का सृजन किया जा रहा है तो ज़रा सा ज्ञान चक्षु खोलकर सोचिये कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब सभ्यताओं का इतना विकास नहीं हुआ होगा और जब संचार और ज्ञान के साधन केवल सीमित ही नहीं वरन न के बराबर ही रहें होंगे तो इस अन्धभक्ति का क्या आलम होगा। क्या आलम रहा होगा इस अन्धभक्ति का? निश्चित ही उस समय कही-सुनी, बढ़ी-चढ़ी और अतिश्योक्ति पूर्ण बातों का ही बोलबाला रहा होगा। यहां मैं किसी भी भगवान की शक्ति या उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाना चाहता और न ही मैं इस योग्य हूँ या इतनी सामर्थ्य का मालिक हूँ, मैं बस केवल अपने आपसे, अपने ज्ञान और विवेक के साथ चर्चा करता हूं, कि क्या इस ब्रह्माण्ड और इस प्रकृति से भी बड़ा कोई भगवान है? जो जाति धर्म और सम्प्रदाय विशेष का है, जो हमारी तरह ही अलग-अलग आधार पर बंटा है और क्या उसमें भी हम इन्सानों की ही तरह प्रतिस्पर्द्धा होती है? क्या वो भी रंग-रूप, धन-दौलत, लंबाई चौड़ाई, घर और कुनबा या जात-पात देखकर कृपा करता है या फिर वो भी चापलूसी की मात्रा देखकर कृपा करता है या फिर उसका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि आंखों में धूल झोंकने के मामले में कौन भक्त कितना बड़ा महारथी है। या फिर ये प्रकृति, ये ब्रह्माण्ड स्वयं, जिसमें ये चांद, सूरज, तारे, नदी, पहाड़, आग, पानी, हवा आदि आते हैं, यही हमारे असली भगवान हैं जिनके लिये सब एक समान हैं चाहे वो इन्सान हो या जानवर, सजीव हो या निर्जीव, आस्तिक हो या नास्तिक, ये सबके लिए बराबर हैं और उतनी ही मात्रा में उपलब्ध हैं। शायद हमें यह बात सीख लेनी चाहिए कि इस पूरे ब्रह्माण्ड का सृजन केवल इन्सानी प्रजाति के लिए ही नहीं किया गया है, जो कोई भी इसका रचयिता है, उसकी नज़र में अवश्य ही समूची कृतियाँ एक समान होंगी और वैसे भी हम इन्सानों ने विकास, अपने आराम और सहूलियतों के नाम पर इस प्रकृति का जो सर्वनाश करने की ठानी है, उतनी किसी अन्य ने नहीं। और हमने ऐसा उस परमशक्तिशाली के साथ भी कर रखा है, उसे अपनी तुच्छ इच्छापूर्ति करने का साधन मात्र बना रखा है। हम इस बात को क्यों नहीं समझते कि हम कैसे बने हैं, हमारे मूल तत्व क्या हैं ! अगर हम थोड़ा-सा अपना विवेक जगाएं तो सब राज़ और वो भगवान या परमात्मा धीरे-धीरे स्वयं समझ में आने लगेगा। यह समझ आने लगेगा कि जैसे हम हैं, वैसा ही हमारा भगवान भी है और इस बात को सच मानकर अगर हम उसे खोजेंगे तो यह पायेंगे कि ये धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल ही हमारे असली भगवान हैं और परम पूज्यनीय हैं क्योंकि स्वस्थ और सुन्दर जीवन से बड़ा वरदान हमें इनके इत्र कोई कुछ दे नहीं सकता और इन पांचों के बिना इन्सान, जानवर या किसी अन्य जीव की कल्पना भी संभव नहीं है क्योंकि अगर कहीं कोई भगवान है भी, तो वह भी स्वयं इन पांच तत्वों से परे नहीं होगा अर्थात इन्हीं से निर्मित होगा, इन्हीं पांच तत्वों का विराट और शुद्धतम स्वरूप होगा। दर असल आज अगर ये बात सिद्ध कर दी जाये कि भगवान किसी भी व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं करता है या करने में सक्षम ही नहीं है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि परमात्मा या फिर किसी अन्य मानव निर्मित भगवान की परिकल्पना ही बदल जायेगी। आस्तिक और नास्तिक के आंकड़े आपस में परस्पर परिवर्तित हो जायेंगे, धर्म और भगवान का यह शुद्धतम स्वरूप समझ आने लगेगा कि भावनाओं का शुद्धतम रूप ही भगवत्व का निर्माण करता है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा ही हमारा भाग्य विधाता है और ऐसा होते ही यह इन्सानी समाज धीरे-धीरे पुनः पटरी पर लौटने लगेगा, इन प्रचलित धर्मों और इच्छा पूर्ति करने वाले भगवानों का अस्तित्व शनैःशनैः समाप्त होने लगेगा और ऐसा इसलिए हो पायेगा क्योंकि हम इन्सानों का जितना बंटवारा और इस प्रकृति का जितना सर्वनाश हमारे द्वारा निर्मित इन धर्मों और भगवानों ने कर रखा है, उतना अन्य किसी और चीज़ ने नहीं।

क्रान्ति

■

लल्लू सिंह कुशवाह
लेखापरीक्षक

बस शादी के कुछ समय बाद
राव गंगाधर बीमार हुए
पर कहा उन्होंने निष्कंटक

मेरी रानी मत घबड़ाओ
इस पथ का पारावार नहीं।
फिर मिल जायेंगे और कहीं।
हो जायेगा फिर साथ कहीं ॥

हम तुम थे मारग के साथी।
मारग में ही हो विलग चले।
निज दैव कर्तव्यानुसार।
हम अलग चले तुम अलग चले ॥

हैं अंग्रेज हमारे मित्र,
और सिंधियों हमारे साथी।
पर याद रखो यह भी कि साम्राज्य
व प्रजा हमारी साथी है ॥

रानी ने लिख भेजा उत्तर,
स्वीकार आपका पत्र नहीं।
मैं हूँ क्षत्राणी इसीलिये
रह सकती हूँ परतन्त्र नहीं ॥

वह वीर, वीर ही क्या,
जिसकी छाती पर कोई घाव न हो।
वह कवि ही कैसा कवि है,
जिसकी कविता का प्रगट प्रभाव न हो ॥

वह क्षत्रिय ही क्या क्षत्रिय है जो
सहता न दुश्मन का वार हो।
वह राजा ही क्या राजा है,
जिसकी प्रजा आजाद न हो ॥

जो मिले गुलामी में रहकर
इससे घर जाना ही अच्छा।
इस समझौते से तो मुझको
रण में मर जाना ही अच्छा ॥

यू.पी. बिगड़ी, सी.पी. बिगड़ी,
बिगड़े पंजाबी, बंगाली।
सब बोल उठे विद्रोह करो
बिगड़ी सोलहवी पलटन काली ॥

अंग्रेजों ने यह 'दुश्गति' की
कैसी नीति अपनाई है।
गो और सुअर की चर्बी लग
हर कारतूस में आई है ॥

गोरों के खाकी तोपों पर
बस टाप सुनाई देती थी।
अंग्रेजी सेना की बस
आह सुनाई देती थी ॥

रण की धरती को लाल-लाल
कर दिया तात्या टोपे ने।
शोणित से काली का खप्पर
भर दिया तात्या टोपे ने ॥

सम्राट चन्द्रगुप्त

■

सुदेश अरोरा
माताजी श्री विनय अरोरा

सम्राट चन्द्रगुप्त युद्धनीति का एक सफल और मंझा हुआ खिलाड़ी था। अपने युद्ध कौशल और वीरता के कारण ही वह एक साधारण सिपाही से सम्राट के पद तक कैसे जा पहुँचा, इस प्रसंग में एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है।

ईसा से लगभग सवा तीन सौ वर्ष पहले की बात है कि भारत वर्ष में मगध नाम का एक उन्नत प्रदेश था, जिसका शासक धनानन्द था। एक बार एक युवक सेना में भर्ती होने के लिए उसके पास आया। सुडौल शरीर, फुर्तीले अंग, चमकती हुई आँखें और ओजस्वी वाणी। साधारण वेश में उसका कसा बलिष्ठ शरीर ऐसा दिखाई देता था जैसे राख में तेज़ चमकती हुई कोई चिंगारी हो। उसके तेजस्वी मस्तक और मजबूत मांसपेशियों को देखकर राजा उसके यौवन पर रीझ गया और उस युवक से उसका नाम पूछा-युवक ने कहा- चन्द्रगुप्त। राजा ने फिर पूछा - क्या-क्या काम जानते हो? युवक ने कहा - 'मैं दो ही काम जानता हूं श्रीमान - युद्ध और विजय।' राजा - और यदि कभी हार जाओ तो क्या करोगे? युवक - तो पुनः युद्ध करूँगा। पुनः विजय प्राप्त करूँगा।

राजा - शाबाश चन्द्रगुप्त ! तुम्हारे जैसे वीरों की हमें आवश्यकता है। अभी हम तुम्हें सैनिक भरती करते हैं और तुम्हारी तलवार का जौहर देखकर तुम्हारी तरक्की कर दी जायेगी।

इस प्रकार चन्द्रगुप्त एक साधारण सैनिक के रूप में भरती हुआ और अपने पराक्रम व सूझबूझ के बल पर वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ते-बढ़ते धनानन्द का सेनापति बन गया। उत्तर भारत में नन्द वंश को जो महान विजय प्राप्त हुई, उसका मुख्य कारण एक ही था - चन्द्रगुप्त की वीरता और उसका युद्ध कौशल। अतः उचित तो यही था कि इसका श्रेय भी चन्द्रगुप्त को ही मिलता किन्तु, हुआ इसके विपरीत। प्रमुख सेनापति की नियुक्ति के समय राजा ने तरक्की का आधार वीरता को न मानकर शाही परिवार में जन्म को ही माना। उसने इतने महत्वपूर्ण पद के लिए चन्द्रगुप्त पर विश्वास न करके अपने ही एक रिश्तेदार को इस पद पर नियुक्त कर दिया, जो बल, पराक्रम और योग्यता में चन्द्रगुप्त से कहीं घटकर था।

वीर पुरुष और सब कुछ सह सकता है पर अपनी वीरता का अपमान नहीं सह सकता। चन्द्रगुप्त ने राजा से अपने अधिकार और न्याय की मांग की। किन्तु जब बदले में अपमान मिला तो चन्द्रगुप्त के सामने विद्रोह के अतिरिक्त और कोई रास्ता न था। वह जानता था कि नन्द एक अत्याचारी और क्रूर राजा है और अपने दुर्व्यवहार के कारण उसने अपने अनेक कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने विरुद्ध कर लिया है। अतः ऐसे लोगों को राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए संगठित करने में चन्द्रगुप्त को अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़ा। वह वीर और कार्यकुशल तो था ही। कुछ दिनों में एक विरोधी सेना का गठन करके उसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया।

चन्द्रगुप्त का पहला ही आक्रमण इतने जोर का हुआ कि एक बार तो नन्द राज्य की नींव तक हिल गई। किन्तु कहां धनानन्द का एक सुसंगठित और विशाल राज्य और कहां चन्द्रगुप्त की एक अकेली विद्रोही टुकड़ी? दीये और तूफान का सा संघर्ष था। शीघ्र ही शाही सेना ने विद्रोह पर काबू पा लिया और चन्द्रगुप्त को करारी हार खाकर जंगलों में भाग जाना पड़ा।

एक रोज चन्द्रगुप्त दिन भर जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहा। शाम को सूर्यास्त के बाद वह एक झोंपड़ी के द्वार पर पहुंचा तो वहां एक वृद्धा को देखकर उसने प्रार्थना की - माँ जी ! प्यास लगी है ! थोड़ा पानी हो तो पिला दो।

माँ का सम्बोधन सुनकर वृद्धा का स्नेह उमड़ आया और उसने अतिथि को अपने बेटे की तरह प्यार-पुचकार कर बैठने को आसन दिया। शीतल जल पिलाया और आग्रह के स्वर में कहा - बेटा ! कहीं दूर के मुसाफिर दिखाई देते हो ! अब सांझ के समय यहां से चलकर कहां जाओगे? यदि तुम्हें जाने की शीघ्रता न हो तो आज मेरे हाथ की पकी, रूखी-सूखी खाकर रात को यहीं विश्राम करो। जाना हो तो सुबह चले जाना। मेरा बेटा भी परदेश गया हुआ है। उसके बिना मेरा पोता उदास रहता है। तुम्हारे साथ इसका भी कुछ दिल बहल जाएगा।

घर का सा स्नेह और वातावरण पाकर चन्द्रगुप्त ने रात वहीं काटने का निश्चय किया। थोड़ी देर में ही मुन्ना उससे ऐसा हिल-मिल गया मानो वह उसका कोई पुराना जानकार हो और कई दिनों के बाद उससे भेंट हुई हो। बहुत दिनों के बाद चन्द्रगुप्त के होंठों पर मुस्कुराहट ने स्थान पाया और बहुत दिनों बाद उसके मुख से हंसी छूटी।

भोजन तैयार हुआ तो वृद्धा ने बड़े प्यार से दो थाल परोसकर एक चन्द्रगुप्त के सामने रखा और दूसरा अपने मुन्ना के सामने।

मुन्ना ने क्या किया कि खिचड़ी के किनारों को छोड़-छोड़ कर उसे बीच से खाना शुरू किया। यह देखकर वृद्धा बोली - अरे बुद्धु तू तो वही गलती कर रहा है, जो युद्ध में चन्द्रगुप्त ने की थी।

अपना नाम और उदाहरण सुनकर चन्द्रगुप्त चौंका। वृद्धा को क्या पता कि वह जिसका नाम ले रही है, वह उसी की रसोई में उसके सामने बैठा भोजन कर रहा है।

चन्द्रगुप्त मुंह में रखा ग्रास चबाना भी भूल गया और वह स्तब्ध होकर यह सुनने की प्रतीक्षा करने लगा कि वृद्धा आगे क्या कहती है। वह अपनी भूल के विषय में सुनने को बेताब हो रहा था।

तभी मुन्ना ने वृद्धा से पूछा - दादी ! चन्द्रगुप्त ने युद्ध में क्या भूल की है?

वृद्धा बोली - जैसे तू खिचड़ी बीच-बीच में से खा रहा है, वैसे ही चन्द्रगुप्त ने भी मगध में सीमावर्ती क्षेत्रों को जीते बिना ही बीच की राजधानी पर आक्रमण करके उसे हड़पने का यत्न किया। इसी भूल के कारण उसे हार का मुंह देखना पड़ा। यदि वह जीतना चाहता है तो उसे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को काबू में करना चाहिए, फिर राजधानी पर अधिकार करने का यत्न करना चाहिए।

बस, चन्द्रगुप्त ने जो सुनना था सो सुन लिया ! वृद्धा की बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपनी असली भूल का पता चल गया। अब वह उसका समाधान करके रहेगा, उसका जी तो करता था कि वह इस महान उपकार के लिए वृद्धा के चरण पकड़कर उसका उपकार माने, किन्तु इससे उसका रहस्य खुल जाने का भय था। किसी उचित समय पर वृद्धा के इस उपकार का बदला चुकाने की बात सोचकर वह युद्ध की भावी योजनाएं बनाने में खो गया।

उस दिन रात को उसे नींद नहीं आई। युद्ध और अपनी जीत-हार के विषय में सोचते-सोचते तीन पहर बीत गए। चौथा पहर उठकर उसने वृद्धा के चरण छूकर यह कहते हुए उससे विदा ली - माँ जी ! जीवन रहा तो एक बार फिर आपके दर्शन अवश्य करूँगा।

चन्द्रगुप्त ने फिर योजनाएं बनाईं। फिर सैन्य संग्रह किया। फिर युद्ध किया और समस्त मगध पर विजय प्राप्त की। इस बार जब वह अपने विजय अभियान के लिए चला तो वह अकेला नहीं था - आचार्य चाणक्य की बुद्धि और कूटनीति भी उसके साथ थी।

चन्द्रगुप्त की युद्धनीति और चाणक्य की कूटनीति ने मिलकर न केवल मगध पर पूर्ण विजय प्राप्त की, अपितु लगभग सारे भारत को जीतकर महान गुप्त साम्राज्य की स्थापना की।

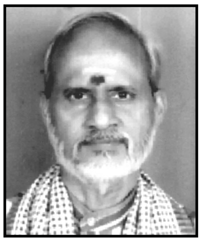

त्याग ही शाश्वत जीवन है

■

श्रीकृष्ण बाथम

एम.टी.एस.

समस्त भारतीय संस्कृति तपोमयी-त्यागमयी है। उसमें प्रत्येक वर्ग के लिए अपने स्तर और स्थिति के अनुसार भोगवृत्तियों को क्रमशः छोड़ते हुए त्याग की वृत्ति को ग्रहण करने पर जोर दिया गया है। प्रत्येक पग यात्रा भी है और वही गन्तव्य भी है। प्रत्येक भोग, भोग भी है और त्याग भी है, भोग है किन्तु वही भोग अपने में त्याग की एक सीढ़ी भी है। इसीलिये समस्त भारतीय जीवन आत्मार्पण की भावना पर गठित हुआ है। इस भावना के कारण ही सामाजिक पक्ष में अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रधानता स्थापित हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि सही अधिकार से कर्तव्य और कर्तव्य से अधिकारी का जन्म होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो श्रीराम का समस्त जीवन त्याग प्रधान है एवं उदान्त कर्तव्य भावना से पूर्ण है। उनका जीवन कहीं भी अपने लिए नहीं है वह एक आदर्श से प्रेरित, एक आदर्श के लिए समर्पित और उस आदर्श को आचरण में व्यक्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील जीवन है। यह व्यक्तिगत सुख एवं भोग पर कर्तव्योन्मुख लोकहित की प्रधानता का जीवन है। वह लोकानुरंजक, लोकानुप्रेरक, लोकोद्धारक जीवन है, वह प्रकाशदाता है वह जीवनदाता है वह प्रत्येक बिन्दु पर शरीर के ऊपर आत्मचैतन्य के स्वरोदय का जीवन है। ऐसा जीवन जिसमें कोटि-कोटि जीवनों को वाणी और सामर्थ्य देने की वृत्ति भी है, शक्ति भी है। एक विराट तेजशक्ति पुंज, यह हैं श्रीराम।

भारत की वसुन्धरा में कई ऐसे उदाहरण भी हैं, जो यह बताते हैं कि प्रेम से अभिभूत होकर त्याग की पराकाष्ठा को सही मायनों में चिन्हित किया जाता है 'दुर्योधन घर मेवा त्यागे - साग विदुर घर खाई।' इसी तरह श्रीकृष्ण को जब मीरा पति मान लेती हैं तो राजमहलों की परम्परा का त्याग कर देती है। राणा ने जब जहर का प्याला पीने को दिया तो वह श्रीकृष्ण का नाम लेकर पी गई। विद्यार्थियों के लिए भी त्याग की भावना से सरोकार संबद्ध बताया है। 'अल्पहारी, गृहस्थ त्यागी, काकचेष्टा, स्वाननिद्रा बकुल ध्यानम्। विद्यार्थिनों पंच लक्षणम्।' श्रीराम के पूर्वजों के संस्कारों में भी त्याग का परिचय मिलता है यथा - हरिश्चन्द्र, दिलीप, भरत, रघु, सगर की जीवनशैली त्याग से भरी पड़ी है। वस्तुतः संसार में श्रीराम - मर्यादावादी पुरुषोत्तम कहलाये, जो कहते थे उसे कर दिखाते थे। वे वचन के पक्के थे जैसा कि संत तुलसीदास जी ने उनके वंश की विशेषता के बारे में कहा है - 'रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहुं बरु वचन न जाई।' (श्रीरामचरित मानस) जिसका अक्षरशः पालन किया दशरथनंदन श्रीराम ने और वनवास चौदह बरसों तक रहे।

त्याग की एक और भी प्रक्रिया है जो सर्वथा हितकारी है यथा

1. किसी प्रकार की श्रेष्ठता और बड़प्पन को स्वीकार करके आदर या सम्मान की इच्छा रखना ही स्वामित्व है साधक को सर्वथा इसका त्याग कर देना चाहिए।

2. किसी प्रकार के गुण, अवस्था, जाति अधिकार या पद के आधार पर अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा या नीचा पतित समझकर उनका तिरस्कार करना, अनादर करना, अति मानवता है, अभिमान भी इसी को कहते हैं इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए।

3. स्थूल, सूक्ष्म और कारण - तीनों शरीर में से किसी भी शरीर के संबंध को लेकर आने में बड़प्पन के व्यक्ति-भाव को स्वीकार कर लेना ही अहंकार है अतः साधकों को चाहिए कि अहंकार से सर्वथा रहित हो जाए।

4. धन, जन, विद्या, जाति, आश्रम आदि को लेकर आने में बड़प्पन की स्वीकृति है, जिसको घमण्ड कहते हैं वह दर्प है साधक को इस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए।

संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य श्रीरामचरितमानस में लिखा है 'मोह सकल व्याधिन कर मूला।' मोह ही सभी व्याधियों की जड़ है अतएव उस से छुटकारा पाने के लिए हमें इन्द्रिय निग्रह को अपनाना चाहिए यानी पूर्ण रूपेण जितेन्द्रिय होना चाहिए विषय-वासना से कोसों दूर रहना चाहिए वरना किया गया कठिन तप भी विनिष्ट हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं मानी जा सकती ऐसे तपस्वी, ब्रह्मचर्य व्रतधारी और सभी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीराम दूत हनुमान जी हैं जैसा कि श्रीरामचरितमानस में वर्णित किया गया है मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीराम दूतम् शरणं प्रपद्ये।'

सच तो यह है कि क्रोध-लोभ-मोह-घृणा और अहंकार सब एक ही मनः स्थिति की अभिव्यक्तियां हैं, जिसका नाम है अतृप्त इच्छायें, सुपात्र न होने पर भी आकांक्षा की हवस। अतः इच्छाओं के कीचड़ में न गिरो बल्कि त्यागधारणा को अपनाओ तो जीवन सरल और शक्तिशाली होगा और आपकी मूल तपश्चर्या तभी सार्थक सिद्ध हो सकेगी।

मैं और तुम

■

मनीष कुमार
एम.टी.एस.

मैं हूँ खुशबू, और तुम हवा
चाहे जहाँ उड़ा ले चलो मुझे।
मैं समंदर, तुम हो लहरें
चाहो तो उस बुलंदी तक
पहुँचा दो मुझे।
मैं आवारा-सा एक भँवरा,
और हो तुम फूलों की बगिया
चाहो तो अपनी सीमा में
बांध दो मुझे।
मैं हूँ पानी, और तुम बादल
चाहे जहाँ बरसा दो मुझे।
मैं बेरंग आकाश,
तुम रंग इंद्रधनुष की
चाहो तो अपने रंग में रंग दो मुझे।
मैं वृक्ष तुम इसकी हरियाली
चाहो तो पतझड़ में भी
न तुम छोड़ जाओ मुझे।
मैं नदियां, तुम धारा इसकी
चाहे जहाँ तुम मोड़ दो मुझे।
मैं सावन, तुम सुंदर-सी मोरनी
चाहो तो अपने नृत्य से
मंत्र-मुग्ध कर दो मुझे।
मैं शरीर, तुम हो जान इसकी
चाहो जब तक रख लो
अपने संग मुझे।
मैं प्रेम, तुम प्रियतम राधे
चाहो तो कृष्ण अपना
तुम बना लो मुझे।

वो पल

■

स्वर्णलता गुप्ता
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

गणतंत्र दिवस का अवसर था, हमारे कार्यालय में भी ये राष्ट्रीय पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसलिए हमारे कार्यालय परिसर को भी तिरंगे के तीन रंगों - केसरिया, सफेद एवं हरे रंग के विभिन्न साधनों से सुन्दर तरीके से सजाया गया था। हल्की सर्दी के मौसम में गुनगुनी-सी धूप बिखरी थी। सुबह ठीक 9.45 पर कार्यालय अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रांगण में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान सम्पन्न हुआ। इस पावन अवसर के उपलक्ष्य में कार्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। उनके विजेताओं को पुरस्कार वितरण एवं कार्यालय के पूर्व सेवानिवृत्त वयोवृद्ध अधिकारियों / कर्मचारियों को भी शाल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस सब के पश्चात स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गयी थी। अन्त में कार्यालय की ही दो फाइनलिस्ट टीमों के बीच एपीएल का क्रिकेट मैच खेला जाना था।

मैं और मेरी एक मित्र मैच देखने की योजना बना ही रहे थे कि इतने में ही मेरी नजर कार्यालय की छत पर खड़े एक उच्चाधिकारी पर पड़ी, जो अपने हाथों में अपनी नन्ही सी परी 'बेटी' को लेकर घुमा रहे थे। शायद इतनी छोटी सी बच्ची (मात्र पौने चार माह), जिसे गणतन्त्र दिवस का मतलब भी नहीं मालूम था, वह इतने सुन्दर, खुले एवं खुशनुमा माहौल में अपनी उपस्थिति मुस्करा कर दर्ज करा रही थी क्योंकि उसके पिता उसकी मुस्कराहट देखकर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में मुस्करा रहे थे और एक बेटी का पिता होने का गर्व महसूस कर रहे थे। अचानक ही उन अधिकारी महोदय की नजर हम पर पड़ी तो हमने नमस्कार किया, उन्होंने भी प्रतिउत्तर में नमस्कार किया।

बेटी के साथ पिता के उस पल को मैं अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करना चाहती थी, जिसमें एक पिता अपनी नन्ही सी बेटी को कार्यालय के गणतन्त्र दिवस समारोह की शोभा का हिस्सा बनाकर लाया था,। पद की मर्यादा के चलते मैं फोटो क्लिक करने में क्षणिक लेट हो गई और इसी बीच वो अधिकारी भी पीछे की ओर चले गये, मैं वो पल क्लिक न कर सकी, जिसके रहते बेटी के बड़े होने पर वो उसे बताते कि जब तुम ठीक से हंसना-बोलना भी नहीं जानती थी, तब तुम गणतन्त्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व में मध्यप्रदेश ग्वालियर के सबसे बड़े शासकीय कार्यालय के ध्वजारोहण समारोह में शामिल थी। उस समय (बड़े होने पर) उस बच्ची के लिए वो कितना सुखद पल होता जब वो 'उस पल में अपना नन्हा-सा बचपन' देखती पर शायद मैं संकोच और मर्यादा के चलते क्लिक करने में लेट हो गई और वो पल हमेशा के लिए यादगार बनने के बजाए कहीं गुम हो गया।

मैं इसकी चर्चा अपनी मित्र से कर ही रही थी, उसी बीच सभी मैच देखने चल दिए। अपनी पत्नी एवं बच्ची के साथ मैच देखने जा रहे उन अधिकारी की पत्नी को मैंने नमस्कार किया और अपने मन में चल रहे 'फोटो' न ले पाने के अफसोस को उनसे कह ही डाला और प्रतिउत्तर में अधिकारी महोदय का ये कहना कि मैं भी सोच रहा था कि बेटी के साथ ऐसा यादगार पल फोटो बन जाता जिसे ताउम्र याद रखा जाये तो मुझे मेरे लेट होने पर बड़ी कोफ्त हुई कि मेरी असमंजस की स्थिति से एक सुनहरा पल कहीं खो गया।

मैं चाहती थी उस बच्ची को देखना, उस छवि को कैमरे में कैद करना, पर उस समय निर्मल गगन, शीतल पवन के साथ गणतंत्र दिवस के पावन-पर्व एवं पिता द्वारा पुत्री को ममतामयी दृष्टि से निहारना, जैसे एक पिता अपनी उस पुत्री को पाकर अपनी पूर्णता का एहसास कर रहा हो, खुद मैं उन पिता पुत्री को देखकर ख्यालों के समंदर में डूब गयी और उस पल को जीने लगी । लगा जैसे वो मेरा ही बचपन हो, कभी मेरे पिता ने भी मुझे यूं ही निहारा होगा, प्यार किया होगा...। तभी मेरी मित्र ने मुझसे कहा कि चल, मैच देखते हैं और जैसे मेरा वो दिवास्वप्न टूट गया और वो पल जिसे मैं अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी, कहीं छूट गया।

कार्यालय महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.) मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कार्यालयीन गतिविधियाँ –

(1) दिनांक 21.5.2018 को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया गया तथा कार्यालय के मुख्य द्वार पर महालेखाकार महोदय द्वारा समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को आतंकवाद विरोध की शपथ दिलाई गई।

(2) दिनांक 14.6.2018 से 20.6.2018 तक कार्यालय के खेल मैदान में योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया एवं दिनांक 21.6.2018 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया।

(3) 15 अगस्त 2018 को महालेखाकार महोदय द्वारा कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर कार्यालय के उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों को स्वल्पाहार वितरित किया गया।

(4) दिनांक 20.8.2018 को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया तथा कार्यालय के मुख्यद्वार पर महालेखाकार महोदय द्वारा समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई गई।

(5) दिनांक 31.10.2018 को सरदार बल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया तथा कार्यालय के मुख्य द्वार पर महालेखाकार महोदय द्वारा समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई।

(6) दिनांक 19 से 25 नवम्बर 2018 तक कार्यालय में राष्ट्रीय सद्भावना सप्ताह का आयोजन किया गया तथा प्राप्त झण्डों को समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को वितरित किया गया।

(7) दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को कार्यालय में सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया तथा प्राप्त झण्डों को समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को वितरित किया गया।

(8) 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महालेखाकार महोदय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिसमें कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश ग्वालियर, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली शाखा ग्वालियर के अधिकारी तथा कर्मचारी भी सम्मिलित हुए।

गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं को महालेखाकार महोदय द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया।

(9) भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति में दिनांक 30.1.2019 को प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया।

कल्याण गतिविधियां -

(1) कल्याण शाखा द्वारा तीनों कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिसके अन्तर्गत दवाइयां, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन (Digital and Mercury) एवं वजन नापने की मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। तथा कार्यालय के कार्मिकों हेतु व्हीलचेयर का क्रय कराया गया है।

(2) दिनांक 26.4.2018 को प्रातः 11.00 से 1.00 तक कार्यालय की केवल महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु डॉ. अनु शर्मा, एम.एस. (स्त्री रोग विशेषज्ञ) बी.आई.एम.आर. हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क जाँच शिविर एवं जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया।

मनोरंजन गतिविधियाँ -

(1) दिनांक 14 से 20 सितम्बर 2018 तक भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग की पश्चिम क्षेत्रीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(2) स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यालय में दिनांक 15.8.2018 को ध्वजारोहण के उपरान्त वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(3) 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विभागीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

(4) 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय में कार्यरत महिला / पुरुष, अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया एवं विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

(5) 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी / कर्मचारी, जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक थी, को महालेखाकार महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।

(6) दिनांक 1 से 6 मार्च 2019 तक भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग की पश्चिम क्षेत्रीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(7) कार्यालय में दिनांक 18.3.2019 को कार्यरत महिला अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया जिसमें तीनों कार्यालयों की महिला अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।

(8) कार्यालय में दिनांक 20.3.2019 को कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।

संयुक्त हिंदी सप्ताह समारोह
दिनांक 14 सितम्बर से 20 सितम्बर 2018
प्रतियोगिता परिणाम

1. **काव्य पाठ प्रतियोगिता**
    1. प्रथम — श्री हरिओम कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
    2. द्वितीय — श्री साकेत कुमार बघेल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
    3. तृतीय — श्री हिमांशु पाण्डे, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
2. **वर्णानुक्रम प्रतियोगिता**
    1. प्रथम — श्री अमित कुमार सिंह, लेखापरीक्षक
    2. द्वितीय — श्री गौरव दीक्षित, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
    3. तृतीय — श्री साकेत कुमार बघेल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
3. **हिंदी निबंध प्रतियोगिता**
    1. प्रथम — श्री पिंकल अग्रवाल, लेखापरीक्षक
    2. द्वितीय — श्री हरिओम कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
    3. तृतीय — श्री साकेत कुमार बघेल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
4. **अनुवाद प्रतियोगिता**
    1. प्रथम — श्री प्रतिपाल सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
    2. द्वितीय — श्री उमेश रागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
    3. तृतीय — श्री साकेत कुमार बघेल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
5. **कार्यालयीन पत्र-लेखन प्रतियोगिता**
    1. प्रथम — श्री पिंकल अग्रवाल, लेखापरीक्षक
    2. द्वितीय — श्री अमित कुमार सिंह, लेखापरीक्षक
    3. तृतीय — श्री यशवर्धन गुप्ता, लेखापरीक्षक
6. **वाद-विवाद प्रतियोगिता**
    1. प्रथम — श्री हरिओम कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
    2. द्वितीय — श्री यशवर्धन गुप्ता, लेखापरीक्षक
    3. तृतीय — श्रीमती रेजिना जार्ज, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7. **हिंदी तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता**
    1. प्रथम — श्री साकेत कुमार बघेल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
    2. द्वितीय — श्री जितेन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
    3. तृतीय — श्री यशवर्धन गुप्ता, लेखापरीक्षक
8. **प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता**
    1. प्रथम — श्री साकेत कुमार बघेल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
    2. द्वितीय — श्री वैभव पुरवार, लेखापरीक्षक
    3. तृतीय — श्री यशवर्धन गुप्ता, लेखापरीक्षक
9. **कार्यालयीन पत्रिका 'श्रेय' वर्ष 2017-18 में चयनित उत्कृष्ट रचना -**
    1. 'पथिक' (पद्य) - श्री प्रतिपाल सिंह
    2. 'आस्था - एक नई उम्मीद' (गद्य) - श्री हरिओम कुमार

कार्यालय महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.) मध्यप्रदेश, ग्वालियर

1. कार्यालय के निम्नलिखित साथियों को उनकी नियुक्ति पर 'श्रेय परिवार' की ओर से हार्दिक बधाई।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक पदस्थापना

क्र.	नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	पद	स्थाई क्रमांक	दिनांक
1.	केतन कुमार	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य)	02/11411	28.05.2018
2.	अक्षय कुमार	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य)	02/11408	10.05.2018
3.	अनिजिया बरला	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य)	02/11409	10.05.2018
4.	सीमा मीणा	एम.टी.एस.	05/11407	07.05.2018
5.	नितेश कुमार	डी.ई.ओ. ग्रेड - ए	05/11412	07.06.2018
6.	मनीष कुमार	एम.टी.एस.	05/11417	10.09.2018
7.	मनीष कुमार पटेल	एम.टी.एस.	05/11418	10.09.2018
8.	गायत्री पाण्डे	एम.टी.एस.	05/11419	14.09.2018
9.	चंचल चटर्जी	एम.टी.एस.	05/11420	17.09.2018
10.	सूरज यादव	एम.टी.एस.	05/11421	24.09.2018
11.	इंद्रनील चौधरी	एम.टी.एस.	05/11422	24.09.2018
12.	संजय सिंह	एम.टी.एस.	05/11423	25.09.2018
13.	शंकर सिंह	एम.टी.एस.	05/11424	27.09.2018

1. कार्यालय के निम्नलिखित साथियों को उनके सेवानिवृत होने पर 'श्रेय परिवार' की ओर से उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु होने की मंगलकामनाएं।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक सेवानिवृत्त

क्र.	नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	पद	स्थाई क्रमांक	दिनांक
1.	मार्टिन टर्की	पर्यवेक्षक	02/5258	31.05.2018
2.	देवेन्द्र सिंह कुशवाह	वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी	01/5276	30.06.2018
3.	अजय कुमार दीक्षित	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	02/5100	30.06.2018
4.	गोविन्द	एम.टी.एस.	05/10044	30.06.2018
5.	संतोष कुमार सोनी	लिपिक	05/5071	31.08.2018
6.	बृजबाला गुप्ता	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	03/10522	30.09.2018
7.	सिबास्टियन एंटोनी	लेखा परीक्षा अधिकारी	01/6827	31.10.2018
8.	सुनीता डेंगरे	पर्यवेक्षक	02/5000	31.10.2018
9.	ओमप्रकाश बाथम	एम.टी.एस.	05/10500	31.10.2018
10.	चन्द्रभान	वरिष्ठ उप महालेखाकार	-	31.12.2018
11.	राजेन्द्र कुमार कपूर	वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी	01/5233	31.12.2018
12.	मोहन लाल चौरसिया	एम.टी.एस.	05/5287	31.01.2019

आपके अभिमत
आपके पत्र

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र के साथ 'श्रेय' के 21वीं एवं 22 वें अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। एतदर्थ साधुवाद।

पत्रिका में राजभाषा हिंदी के कई पहलुओं और विविध विषयों पर रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। साथ ही, पत्रिका की सभी रचनाएं सरल भाषा में हैं और रोचक, ज्ञानवर्द्धक एवं उच्च कोटि की भी हैं। हिंदी भाषा के सृजनशीलता के उत्थान हेतु आपका यह प्रयास सराहनीय है।

आशा है कि भविष्य में 'श्रेय' राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के कर्मचारियों / अधिकारियों की हिंदी मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी। इससे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों में निश्चित ही प्रेरणा और उत्साह का संचार होगा।

'श्रेय' के कुशल संपादन, रचनाओं का चयन, संकलन एवं प्रकाशन हेतु संपादक मण्डल को 'कुरिंजि' परिवार बधाई देती है तथा 'श्रेय' के अनवरत प्रकाशन एवं उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करती है।

भवदीया - वी. चित्रा, हिंदी अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), तमिलनाडु

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका 'श्रेय' के 22 वें अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। इस पत्रिका की सभी रचनाएं उत्कृष्ट व ज्ञानवर्द्धक हैं।

पत्रिका में सरल व बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। हिन्दी भाषा के उत्थान एवं लोकप्रिय बनाने हेतु आपका यह प्रयास सराहनीय है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

अगले अंक की शुभकामनाओं सहित।

भवदीय - वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हिंदी कक्ष

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) छ. ग. रायपुर

महोदय,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'श्रेय' के 22 वें अंक 2017-18 की एक प्रति हमारे कार्यालय को प्राप्त हुई। एतदर्थ धन्यवाद।

पत्रिका के आवरण के साथ-साथ पृष्ठों की भी साज-सज्जा अत्यन्त आकर्षक है। इस अंक में समाविष्ट सभी रचनाएं पठनीय, ज्ञानवर्द्धक एवं संग्रहणीय हैं। विशेषकर श्रीकृष्ण बाथम का लेख (भक्त और भक्ति का समन्वय), श्री नवल किशोर त्रिपाठी की कहानी (हुनर की पहचान), श्री सुदेश अरोरा का लेख (जय राजस्थान), श्री मदन गोपाल शर्मा का लेख (श्रोताओं पर ज्यादती), श्रीमती रिचा

चतुर्वेदी की कहानी बड़ा मकान), श्री हरिओम कुमार की कहानी (आस्था - एक नई उम्मीद) एवं श्रीमती अनामिका त्रिपाठी की कहानी (मन का प्रेम) की रचनाएं अत्यन्त सराहनीय हैं।

पत्रिका के उत्तम सम्पादन एवं संकलन हेतु सम्पादन मंडल के सभी सदस्यों को साधुवाद तथा पत्रिका की निरंतर प्रगति हेतु हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय - चन्दन का बढ़ई, हिंदी अधिकारी

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई हिन्दी पत्रिका 'श्रेय' का 22 वां अंक हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आपके कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशंसनीय लेख एवं सुन्दर कविताएं लिखने का सराहनीय प्रयास किया है।

सुश्री शालिनी इंदौरकर द्वारा लिखित कविता 'नारी शक्ति', श्री गौरव दीक्षित द्वारा लिखित लेख 'नई पहल', श्री आकाश सिंह द्वारा लिखित लेख 'मेरा विपश्यना अनुभव' और सुश्री सुनीता पाठक द्वारा लिखित कहानी 'नई मंजिल' सराहनीय हैं।

हिन्दी की सार्थकता के लिए प्रयासरत आपकी पत्रिका 'श्रेय' के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

भवदीय - हिंदी अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आ. एवं रा. क्षे. ले. प.) गुजरात

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक / प्रशासन / हिन्दी कार्यान्वयन कक्ष / सम्मति / जावक-1257 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्रेषित पत्रिका 'श्रेय' के 22 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई है। सहर्ष धन्यवाद।

इस पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं पाठकों के लिए प्रभावशाली, रोचक तथा ज्ञानवर्द्धक हैं। पत्रिका के सफल सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु सम्पादक मण्डल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय - वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हिंदी कक्ष

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका 'श्रेय' वर्ष 2017-18 के 22 वें अंक पत्र क्रमांक / प्रशासन / हिन्दी कार्यान्वयन कक्ष / सम्मति / जावक - 1128, दिनांक 28.09.2018 प्राप्त हुआ।

पत्रिका में अंतर्निहित सभी रचनाएं अत्यंत शिक्षाप्रद, नीतिपरक एवं रोचक हैं। ये सभी रचनाएं अत्यंत सराहनीय और प्रासंगिक भी हैं। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को बधाई एवं इसकी प्रगति और अगले अंक के प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं।

भवदीय - हिंदी अधिकारी / राजभाषा

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग, महानिदेशक, लेखा-परीक्षा का कार्यालय, केन्द्रीय, कोलकाता

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी पत्रिका 'श्रेय' का 22 वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका का आवरण पृष्ठ पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्र एवं सभी रचनाएं अत्यन्त ज्ञानवर्द्धक, नीतिपरक एवं रोचक हैं। कविताएं एवं लेख भी भावपूर्ण, सार्थक तथा मन को छू लेनेवाली हैं। सुश्री दीक्षा चौहान जी द्वारा लिखित कविता 'वृद्धावस्था' सुश्री सृष्टि सिंह जी द्वारा लिखित कविता 'माँ', श्री आकाश सिंह जी द्वारा लिखित लेख 'मेरा विपश्यना अनुभव', श्री अनामिका त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी 'मन का प्रेम' सर्वाधिक रोचक एवं शिक्षाप्रद हैं।

पत्रिका के संपादक मंडल, रचनाकारों के सफल संपादन एवं लगातार प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।

भवदीय - आलोक सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हिंदी कक्ष

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल

महोदय,

आपके पत्रांक प्रशासन / हिन्दी कार्यान्वयन कक्ष/ सम्मति / जावक - 1273, दिनांक 24.10.2018 के साथ पत्रिका 'श्रेय' के 22 वें अंक की प्राप्ति हुई, एतदर्थ धन्यवाद।

पत्रिका की विषय-वस्तु ज्ञानवर्द्धक है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं उत्कृष्ट, संग्रहणीय एवं ज्ञानवर्द्धक हैं। विशेषकर श्रीमती शालिनी इंदौरकर जी की 'नारी शक्ति', श्री आकाश सिंह जी की 'मेरा विपश्यना अनुभव' एवं 'दर्द मुझे इन्साँ बनाता है', श्री हरिओम कुमार जी की 'आस्था-एक नई उम्मीद', एवं श्रीमती सुनीता पाठक जी की 'नई मंजिल' आदि रचनाएं उल्लेखनीय, विचार प्रधान, प्रेरक एवं सराहनीय हैं। पत्रिका के संपादन एवं संकलन हेतु संपादक मंडल को साधुवाद तथा पत्रिका के निरंतर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय - वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हिंदी

महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षे. ले. प.) का कार्यालय, ओड़िशा, भुवनेश्वर

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका 'श्रेय' का 22 वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका की संपूर्ण सामग्री प्रशंसनीय है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ व आंतरिक चित्र भी आकर्षक हैं। सम्पादक मण्डल द्वारा किया गया यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

भवदीय - विनय कुमार गर्ग, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी कक्ष)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) चण्डीगढ़

महोदय,

आपके कार्यालय की पत्रिका 'श्रेय' के 22 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद।

पत्रिका में समाहित सभी सामग्री सूचनाप्रद व उपयोगी है। कार्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी व विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती पत्रिका ज्ञानवर्द्धक व रोचक है। पत्रिका में समाहित सभी सामग्री सूचनाप्रद व उपयोगी है। विभिन्न गतिविधियों के छायाचित्रों के समावेश से पत्रिका की शोभा में वृद्धि हुई है।

आशा है कि यह पत्रिका कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी और अभिव्यक्ति का सार्थक मंच उपलब्ध करवाती रहेगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए संपादक मण्डल तथा रचनाकारों को हार्दिक बधाई।

भवदीया - संगीता वशिष्ठ, सहायक निदेशक (रा. भा.) एवं सचिव नराकास चण्डीगढ़

अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, उ.प्र. क्षेत्र, चण्डीगढ़

महोदय,

आपके कार्यालय की हिन्दी पत्रिका 'श्रेय' वर्ष 2017-18 के 22 वें अंक की एक प्रति प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं उत्कृष्ट, ज्ञानवर्द्धक एवं पठनीय हैं। विशेषकर सुश्री दीक्षा चौहान की रचना 'वृद्धावस्था', श्रीमती रिचा चतुर्वेदी की रचना 'बड़ा मकान', श्री आकाश सिंह की रचना 'दर्द मुझे इन्सां बनाता है', श्री हरिओम कुमार की रचना 'आस्था-एक नयी उम्मीद', श्रीमती प्रीति दीक्षित की रचना 'पिता' आदि उल्लेखनीय हैं।

पत्रिका की साजसज्जा उत्तम है। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर सांची स्तूप का चित्र ध्यानाकर्षणीय है। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के कुशल तथा सफल संपादन हेतु संपादक मंडल को हार्धिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्जवल भविष्य हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया - वी.एस. रेड्डी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हिंदी

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के साथ आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी वार्षिक पत्रिका 'श्रेय' के 22 वें अंक की 05 प्रतियाँ प्राप्त हुईं, तदर्थ धन्यवाद।

पत्रिका में सभी रचनाएं, लेख एवं कविताएं रोचक, ज्ञानवर्द्धक, पठनीय, सारगर्भित, प्रासंगिक एवं सराहनीय हैं। पत्रिका की साज-सज्जा मनमोहक हैं।

पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना सहित प्रकाशन से जुड़े रचनाकारों एवं संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय - वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हिंदी कक्ष

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. भोपाल

संयुक्त हिंदी सप्ताह समारोह - 2018 : झलकियाँ

माननीय मुख्य अतिथि डॉ. दिवाकर विद्यालंकार एवं माननीय महालेखाकार श्री राजीव कुमार पाण्डे

संयुक्त हिंदी सप्ताह समारोह - 2018 : झलकियाँ

गणतंत्र दिवस समारोह - 2019

महालेखाकार महोदय ध्वजारोहण करते हुए

कार्यालय को सम्बोधित करते हुए

कार्यालय के सेवा निवृत्त पेंशनरों का सम्मान किया गया

गणतंत्र दिवस समारोह - 2019

उपमहालेखाकार प्रशासन, महालेखाकार महोदय का स्वागत करते हुए

समारोह में महालेखाकार महोदय सम्बोधित करते हुए

ए.पी.एल. 2019 की विजेता टीम - ए.जी. इलेवन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह - 2019

महिला दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथियों सहित समस्त महिला स्टाफ

रंगारंग प्रस्तुति देते हुए

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह - 2019

नाटक का मंचन करते हुए

विभिन्न कार्यक्रमों का आनन्द लेते हुए

कार्यालयीन गतिविधियाँ

संयुक्त हिंदी सप्ताह के समापन समारोह में
मुख्य अतिथि, अधिकारी गण एवं समस्त हिंदी अनुभाग

पश्चिम क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2018-19 में विजेता
मेजबान टीम ए.जी.एम.पी. ग्वालियर, मध्यप्रदेश

गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर
रोशनी से जगमगाता विहंगम दृश्य

कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रदीप इण्टरप्राइजेज, ग्वालियर 9329718400